झारखण्ड विधान सभा

तारांकित प्रश्नों की सूची

चतुर्थ झारखण्ड विधान– सभा
द्वादश (बजट) सत्र
वर्ग– 01

निम्नलिखित तारांकित प्रश्न, सोमवार, दिनांक– 09 माघ, 1939 (श0) / 29 जनवरी, 2018 (ई0) को

झारखण्ड विधान– सभा के आदेश– पत्र पर अंकित रहेंगे :–

क्र0सं0–	विभागों को सं0 की गई प्रा0 संख्या	सदस्यों का नाम	संक्षिप्त विषय	संबंधित विभाग	विभागों को भेजी गई तिथि
01.	02.	03.	04.	05.	06
312–	ग– 22	श्री साईमन मराण्डी	दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई ।	गृह कारा	16.01.2018
313–	म– 03	श्रीमती विमला प्रधान	सक्षम एजेंसी बहाल करना ।	मंत्रिमंडल निग0	20.01.2018
314–	ग– 14	श्री ग्लेन जोसेफ गॉलस्टन	थाना में पंचायत को जोड़ना ।	गृह कारा	15.01.2018
315–	ग– 30	श्री निर्भय कुमार शाहाबादी	गेस्ट हाऊस को कब्जा मुक्त कराना।	गृह कारा	20.01.2018
316–	ग– 26	श्री प्रकाश राम	पेंशन राशि का भुगतान ।	गृह कारा	19.01.2018
317–	ग– 27	श्री हरिकृष्ण सिंह	अनुकम्पा पर नियुक्त करना	गृह कारा	19.01.2018
318–	ग– 17	श्री जगरनाथ महतो	विधिसम्मत कार्रवाई करना ।	गृह कारा	15.01.2018
319–	जन–03	श्री मनीष जायसवाल	डिस्प्ले बोर्ड लगाना	सूचना एवं जन0	13.01.2018
320–	ग– 29	श्रीमती निर्मला देवी	पदाधिकारियों पर विभागीय कार्रवाई करना ।	गृह कारा	19.01.2018

कृ0पृ0उ0/–

01.	02.		03.	04.	05.	06
321–	ग–	21	श्री अमित कुमार	मुआवजा राशि का भुगतान।	गृह कारा	15.01.2018
322–	ग–	31	श्री प्रकाश राम	सरकारी जमीन कब्जा मुक्त कराना।	गृह कारा	20.01.2018
323–	ग–	25	श्री देवेन्द्र कु0 सिंह	पुलिस टिकेट को ओ0पी0 बनाना।	गृह कारा	16.01.2018
324–	ग–	38	डॉ0 जीतूचरण राम	एरियर का भुगतान	गृह कारा	23.01.2018
325–	ग–	07	श्री योगेन्द्र प्रसाद	उच्च स्तरीय जॉच करना।	गृह कारा	13.01.2018
326–	ग–	24	श्री कुशवाहा शिवपुजन, मेहता	उपकारा का निर्माण	गृह कारा	16.01.2018
327–	का–	03	श्री शिवशंकर उरॉव	थाना स्थापित करना।	गृह कारा	11.01.2018
328–	का–	17	श्रीमती विमला प्रधान	स्थानीय नीति के तहत नियुक्ति करना।	कार्मिक प्र0सु0	17.01.2018
329–	ग–	35	श्री हरिकृष्ण सिंह	थाना भवन का निर्माण	गृह कारा	21.01.2018
330–	का–	01	श्री फूलचंद मंडल	अनुमण्डल का सृजन	कार्मिक प्र0सु0	08.01.2018
331–	ग–	16	श्री शशिभूषण सामाड़	अग्निशामक केन्द्र स्थापित करना।	गृह कारा	15.01.2018
332–	ग–	11	श्री मनीष जायसवाल	रास्ते की व्यवस्था	गृह कारा	13.01.2018
333–	का–	19	श्री दुलू महतो	सेवा शर्त निर्धारण करना।	कार्मिक प्र0सु0	19.01.2018
334–	ग–	10	श्री भानुप्रताप शाही	शहत कार्य चलाना	गृह कारा	13.01.2018
335–	का–	22	श्री अमित कुमार मंडल	अनुसूचित जनजाति में शामिल करना।	कार्मिक प्र0सु0	20.01.2018

(कृ0 पृ0 उ0)

01.	02.		03.	04.	05.	06
336–	का–	16	श्री देवेन्द्र कुमार सिंह	अनुमंडल का दर्जा देना।	कार्मिक प्र0सु0	16.01.2018
337–	ग–	03	श्री राम कुमार पाहन	तड़ित चालक यंत्र लगाना।	गृह कारा	08.01.2018
338–	का–	11	साधुचरण महतो	एस0टी0सूची में शामिल करना ।	कार्मिक प्र0सु0	15.01.2018
339–	का–	15	श्री केदार हजरा	आरक्षण का लाभ	कार्मिक प्र0सु0	16.01.2018
340–	का–	10	श्री नारायण दास	जाति प्रमाण पत्र निर्गत करना।	कार्मिक प्र0सु0	15.01.2018
341–	ग–	04	श्री अरूप चटर्जी	पुलिस कर्मियों को सभी भत्तों का भुगतान।	गृह कारा	09.01.2018
342–	मनि–	03	श्री अशोक कुमार	मतदाता पहचान पत्र में सुधार	मंत्रिमंडल (निर्वाचन)	13.01.2018
343–	ग–	05	श्री नागेन्द्र महतो	पुलिस पिकेट स्थापित करना ।	गृह कारा	11.01.2018
344–	ग–	06	श्री राज सिन्हा	नियमित सुरक्षा की जाँच ।	गृह कारा	11.01.2018
345–	ग–	33	श्री भानु प्रताप शाही	वेतनमान देना।	गृह कारा	21.01.2018
346–	का–	18	श्री दशरथ गागराई	आरक्षण व्यवस्था के तहत नियुक्ति करना।	कार्मिक प्र0सु0	19.01.2018
347–	का–	20	श्री दुलू महतो	अनुमंडल का गठन	कार्मिक प्र0सु0	19.01.2018
348–	ग–	19	प्रो0 जय प्रकाश वर्मा	कांड का उद्‌भेदन करना।	गृह कारा	15.01.2018
349–	ग–	01	श्री अशोक कुमार	मुआवजा का भुगतान।	गृह कारा	08.01.2018
350–	ग–	09	श्री योगेन्द्र प्रसाद	आश्रित को नौकरी देना	गृह कारा	13.01.2018

(कृ0पृ0उ0)

01.	02.	03.	04.	05.	06
351—	ग—	18 श्री साईमन मराण्डी	नया कारा भवन चालू करना ।	गृह कारा	15.01.2018
352—	का—	14 प्रो0 जय प्रकाश वर्मा	एनेक्चर —1 में शामिल करना।	कार्मिक प्र0सु0	15.01.2018
353—	का—	02 श्रीमती गंगोत्री कुजूर	आर0टी0आई0 कानून का प्रचार—प्रसार करना।	कार्मिक प्र0सु0	11.01.2018
354—	ग—	15 श्री शशि भूषण सामाड़	प्रमाण पत्र देना	गृह कारा	15.01.2018
355—	का—	12— श्री साधु चरण महतो	सरकारी अवकाश देना	कार्मिक प्र0सु0	15.01.2018
356—	ग—	08 श्री अमित कुमार मंडल	पुलिस बल उपलब्ध कराना	गृह कारा	13.01.2018
357—	ग—	20— श्रीमती निर्मला देवी	दोषी को जेल भेजना	गृह कारा	15.01.2018
358—	जन—	01— श्रीमती गंगोत्री कुजूर	पत्रिका का पुनः प्रकाशन।	सूचना जन0	11.01.2018
359—	योवि—	04— श्री जय प्रकाश भाई पटेल।	7 वॉ वेतनमान् का लाभ देना ।	योजना सह—वित्त	23.01.2018
360—	ग—	13— श्री ग्लेन जोसेफ गॉलस्टन	पुलिस पिकेट स्थापित करना।	गृह कारा	15.01.2018
361—	का—	09— श्री राम कुमार पाहन	प्रमाण पत्र निर्गत करना	कार्मिक प्र0सु0	15.01.2018
362—	ग—	02— श्री राधा कृष्ण किशोर	अपराध पर नियंत्रण	गृह कारा	08.01.2018
363—	ग—	12— श्रीमती गीता कोड़ा	परिजनों को मुआवजा देना	गृह कारा	13.01.2018

राँची,
दिनांक— 29 जनवरी, 2018 (ई0)।

विनय कुमार सिंह
प्रभारी सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

ज्ञाप सं0-प्रश्न- 03/2015.-1123/वि0स0, रांची, दिनांक- 27/01/18

प्रतिः- झारखण्ड विधान-सभा के माननीय सदस्यगण/ मा0 मुख्यमंत्री/मा0 मंत्रिगण/ माननीय संसदीय कार्य मंत्री/ माननीय नेता विरोधी दल,झारखण्ड विधान सभा/ मुख्य सचिव तथा माननीया राज्यपाल के प्रधान सचिव/ लोकायुक्त के आप्त सचिव एवं झारखण्ड सरकार के सभी विभागों के सचिवों को सूचनार्थ प्रेषित।

27/01/18

(कमलेश कुमार दीक्षित)
उप सचिव,
झारखण्ड विधान-सभा, राँची।

ज्ञाप सं0-प्रश्न- 03/2015-1123/वि0स0, रांची, दिनांक- 27/01/18

प्रतिः- मा0 अध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव/आप्त सचिव, सचिवीय कार्यालय को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।

27/01/18.

उप सचिव,
झारखण्ड विधान-सभा, राँची।

ज्ञाप सं0-प्रश्न- 03/2015-1123/वि0स0, रांची, दिनांक- 27/01/18

प्रतिः- कार्यवाही शाखा/ आश्वासन समिति शाखा एवं बेवसाईट शाखा ऑनलाईन शाखा, को सूचनार्थ प्रेषित।

27/01/18

उप सचिव,
झारखण्ड विधान-सभा, राँची।

सुभाष/-

27/01/18

312

श्री साईमन मराण्डी, मा०स०वि०स० के द्वारा दिनांक–29.01.2018 को पूछे जानेवाले तारांकित प्रश्न सं०–ग–22 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि पाकुड़ जिला के हिरणपुर थाने की पुलिस ने कमलधारी मिशन टोला, निवासी पीटर कुमार पाल के लिखित बयान पर थाने में 17 जुलाई 2016 को कांड संख्या–60/16 मा०द०वि० की धारा–457 के तहत सिमलकुंडी निवासी एक नाबालिक की चोरी का नामजद अभियुक्त बनाया गया है ;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि पुलिस जब उस नाबालिग को जेल भेजी उस वक्त यह भी पता लगाने की कोशिश नहीं की गई कि वह बालिग है या नाबालिग, जिसके कारण 11 महीनों तक उक्त नाबालिग ने मंडल कारा में बिताया ;	स्वीकारात्मक।
3	क्या यह बात सही है कि उसके अधिवक्ता के आवाज उठाने पर उसे बाल सुधार गृह भेजा गया ;	स्वीकारात्मक।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार हिरणपुर थाना संख्या–60/16 को जांच कराकर दोषी पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	उक्त वर्णित कांण्ड के अनुसंधानकर्त्ता सहायक अवर निरीक्षक, मोईनुद्दीन खाँ द्वारा अभियुक्त की गिरफ्तारी के बाद उम्र के निर्धारण के संदर्भ में अनुसंधान में बरती गई लापरवाही के लिए उन्हें निलंबित किया गया है, एवं कांण्ड के पर्यवेक्षणकर्त्ता तत्कालीन पुलिस निरीक्षक, अजीत कुमार कुजूर द्वारा पर्यवेक्षण में इस बिन्दु पर स्पष्ट दिशा–निर्देश नहीं दिए जाने के कारण उनके विरूद्ध भी कार्रवाई की जा रही है।

झारखण्ड सरकार,
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

ज्ञापांक–11/वि०स०–04/2018..574../ राँची, दिनांक–27/01/2018 ई०।

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक–620, दिनांक–16.01.2018 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27/1/18

सरकार के संयुक्त सचिव।

313

दिनांक 29.01.2018 को श्रीमती विमला प्रधान, माननीय स0वि0स0 द्वारा पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या–म0–03 से संबंधित उत्तर प्रतिवेदन :–

प्रश्न	उत्तर
1. क्या यह बात सही है कि दिल्ली स्थित झारखण्ड भवन में आवासीय एवं खान–पान सुविधा उपलब्ध कराने की जिम्मेवारी किसी बाहरी एजेन्सी को सौपी गई है?	स्वीकारात्मक। विदित हो कि मे0 एन0 कुमार एसोसिएट्स इंटरनेशनल, मुम्बई को दिल्ली स्थित झारखण्ड भवन में आवासीय एवं खान–पान सुविधा उपलब्ध कराने का कार्य आवंटित किया गया है।
2. क्या यह बात सही है कि जिस एजेन्सी को यह कार्य सौपा गया है उसका कार्य संतोषजनक नहीं है और भवन में ठहरने वाले अधिकांश विशेषकर माननीय विधायकगण को इस विषय में काफी शिकायत है एक लिखित शिकायत दिनांक 31.12.2017 को झारखण्ड भवन को दी गई है?	आंशिक रुप से स्वीकारात्मक। विदित हो कि उक्त एजेंसी के द्वारा संतोषजनक कार्य नहीं किये जाने से संबंधित मात्र एक लिखित शिकायत पत्र माननीय सचेतक, सत्तारूढ़ दल, झारखण्ड विधान सभा के आप्त सचिव द्वारा दिनांक 31.12.2017 को प्राप्त हुआ है। इसके अतिरिक्त कोई भी शिकायत झारखण्ड भवन को प्राप्त नहीं हुआ है।
3. क्या यह बात सही है कि एजेन्सी को कार्य सुधारने हेतु नियत्री पदाधिकारी द्वारा बार–बार स्मारित किये जाने के उपरांत भी एजेन्सी के कार्य में सुधार नहीं आया है ?	आंशिक रुप से स्वीकारात्मक। i. विदित हो कि माननीय सचेतक, सत्तारूढ़ दल, झारखण्ड विधान सभा के आप्त सचिव द्वारा प्राप्त शिकायत पत्र के आलोक में उक्त एजेन्सी से स्पष्टीकरण पुछा गया। तदोपरांत उक्त एजेन्सी को भविष्य में हाउसकीपिंग, भोजन, कैटरिंग तथा स्वागत डेस्क की व्यवस्था में किसी प्रकार की त्रुटि न हो, इसके लिए नियंत्री पदाधिकारी द्वारा सख्त चेतावनी दी गई। ii. उक्त चेतावनी के बाद उनके कार्य के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुआ है।
4. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार कार्यरत एजेन्सी को हटाकर दूसरे किसी सक्षम एजेन्सी को कार्य सौपना चाहती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	वर्तमान एजेन्सी की कार्यावधि समाप्ति पर है एवं नये एजेंसी के चयन की निविदा प्रक्रियाधीन है।

झारखण्ड सरकार
मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग
(संसदीय कार्य)

ज्ञापांक – म0म0स0–05 / सं0कार्य0अ0सू0प्र0–05 / 2018 144 / रांची, दिनांक– 27 जनवरी, 2018 ई0।

प्रतिलिपि – माननीय मंत्री, संसदीय कार्य विभाग के आप्त सचिव / प्रभारी सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय / उप सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय के ज्ञापांक–884, दिनांक 20.01.2018 के प्रसंग में प्रश्नोत्तर की 200 अतिरिक्त छाया प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27/1/18

(314)

श्री ग्लेन जोसेफ गॉल्स्टन, मा०स०वि०स० के द्वारा दिनांक–29.01.2018 को पूछे जानेवाले तारांकित प्रश्न सं०–ग–14 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि राँची जिला के खलारी प्रखण्ड स्थित तुमांग पंचायत की दूरी खलारी थाना से 06 किलोमीटर है जबकि मैक्लुस्कीगंज थाना मात्र 03 किलोमीटर पर स्थित है ;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि खलारी थाना से तुमांग पंचायत की दूरी अधिक रहने के कारण अपराधिक गतिविधियों को नियंत्रण ससमय नहीं हो पाता है,	आंशिक स्वीकारात्मक। खलारी थाना से तुमांग पंचायत की दूरी मैक्लुस्कीगंज थाना से अपेक्षाकृत अधिक है, परन्तु इस क्षेत्र में खलारी थाना के द्वारा आपराधिक गतिविधि पर सतत् नियंत्रण रखा जाता है।
3	यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार तुमांग पंचायत को मैक्लुस्कीगंज थाना में सम्मिलित करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों?	तुमांग पंचायत को मैक्लुस्कीगंज थाना में सम्मिलित करने के संबंध में विभाग द्वारा आयुक्त, द० छोटानागपुर, राँची से प्रस्ताव की मांग की गई है। पुलिस मुख्यालय द्वारा भी इस संबंध में आयुक्त, द० छोटानागपुर, राँची से प्रस्ताव की मांग की गई है। प्रस्ताव प्राप्त होने पर आवश्यक कार्रवाई की जायेगी।

झारखण्ड सरकार,
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

ज्ञापांक–16/वि०स०–05/2018–527/ राँची, दिनांक–24/01/2018ई०।

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक–506, दिनांक–15.01.2018 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24.1.18

सरकार के संयुक्त सचिव।

316

श्री प्रकाश राम, माननीय स0 वि0 स0 द्वारा दि0 29.01.2018 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न सं0–ग–26 का प्रश्नोत्तर –

	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि अग्निक चालक संख्या–10 नन्द किशोर भगत कार्यालय, अग्निशमन पदाधिकारी, लोहरदगा से दिनांक–31.01.2018 को सेवानिवृत्त हुए;	स्वीकारात्मक
2	क्या यह बात सही है कि सेवानिवृत्ति के उपरांत दो वर्ष बीत जाने के बाद भी इन्हें पेंशन की राशि नहीं दी जा रही है, जबकि इनको सेवानिवृत्ति एवं ग्रुप बीमा की राशि का भुगतान किया गया है;	आंशिक रूप से स्वीकारात्मक अग्निशमन सेवा मुख्यालय, रांची द्वारा **श्री नन्द किशोर भगत,** सेवा निवृत अग्निक चालक को ग्रुप बीमा की राशि **रू0 2,06,308/–** (दो लाख छः हजार तीन सौ आठ रूपये) एवं जी0पी0एफ0 की राशि **रू0 5,63,906/–**(पाँच लाख तिरसठ हजार नौ सौ छः रूपये) का भुगतान किया जा चुका है। श्री भगत के पेंशन के निर्धारण हेतु उनको प्रदत्त प्रथम/द्वितीय ए0सी0पी0 एवं छट्ठे पुनरीक्षित वेतनमान एवं निर्धारित वेतन का सत्यापन वित्त विभाग से कराना आवश्यक था जिसके लिये उनकी सेवा पुस्त वित्त विभाग को भेजी गई थी। वित्त विभाग द्वारा पूछे गये कुछ पृच्छाओं के निराकरण के पश्चात श्री भगत का सेवा पुस्त पुनः वित्त विभाग को भेजी गई है। तत्काल **श्री भगत** का पेंशन की स्वीकृति उनके द्वारा आहरित अंतिम वेतन के आधार पर करने का निदेश विभागीय पत्रांक 458 दिनांक 25.1.2018 द्वारा अग्निशमन सेवा मुख्यालय को दिया गया है। श्री भगत को प्रदत्त प्रथम/द्वितीय ए0सी0पी0 एवं छट्ठे पुनरीक्षित वेतनमान एवं निर्धारित वेतन के आधार उनका पेंशन पुनरीक्षण हेतु कार्रवाई की जायेगी।
3	क्या यह बात सही है कि श्री भगत को पेंशन की राशि नहीं मिलने से इन्हें अपने एवं अपने आश्रित परिवार का भरण–पोषण में काफी कठिनाई हो रही है;	तदैव
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार श्री भगत का पेंशन की राशि तत्काल प्रदान करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नही तो क्यों ?	तदैव

झारखण्ड सरकार,
गृह,कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

ज्ञापांक–05/वि0स0–07–03/2018– 478 /राँची, दिनांक– 27 /01 /2018 ई0

प्रतिलिपि– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके पत्रांक 842/वि0 स0, दि0 19.01.2018 के प्रसंग में/अवर सचिव, प्रभारी प्रशाखा–07, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27/1/18

(अनिल कुमार सिंह)

317

श्री हरिकृष्ण सिंह, मा०स०वि०स० के द्वारा दिनांक–29.01.2018 को पूछे जानेवाले तारांकित प्रश्न सं०–ग–27 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि पचु उराँव रेल, जिला–जमशेदपुर के चाण्डिल थाना में हवलदार के पद पर पदस्थापित थे, जिनकी मृत्यु दिनांक–27.09.2016 को ड्यूटी के दौरान हो गई	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि श्री उराँव निसंतान थे तथा उन्होंने अपना भतीजा विगन उराँव को गोद लिये थे। विभाग के सेवा पुस्तिका में अपने गोद लिये पुत्र विगन उराँव को अपना उत्तराधिकारी के रूप में नामित किया है	अस्वीकारात्मक।
3	क्या यह बात सही है कि श्री उराँव द्वारा गोद लिए पुत्र को किसी भी तरह का भुगतान एवं अनुकम्पा पर नियुक्त नही किया गया है	स्वीकारात्मक।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उनके पुत्र विगन उराँव को अनुकम्पा पर नियुक्त करने और सारी राशि के भुगतान करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	मृत हवलदार पच्चु उराँव की सेवा पुस्तिका में उत्तराधिकारी के नाम की कोई प्रविष्टि अंकित नही है। साथ ही उनके भतीजा विगन उराँव के उत्तराधिकारी होने से संबंधित कोई प्रमाण पत्र भी नही है। अनुकम्पा के लाभ से संबंधित वर्त्तमान प्रावधान के अनुसार भतीजा आश्रित की श्रेणी में नही आते है और न ही विगन उराँव मृत हव० पच्चु उराँव के दत्तक पुत्र घोषित है, जिससे कि इन्हें अनुकम्पा पर नियुक्ति एवं अन्य लाभ दिया जा सके।

झारखण्ड सरकार,
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

ज्ञापांक–16/वि०स०–10/2018 576 / राँची, दिनांक–27/01/2018 ई०।

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक–843, दिनांक–19.01.2018 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27/1/18

सरकार के संयुक्त सचिव।

318

श्री जगरनाथ महतो, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक–29.01.2018 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या–ग–17 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि जामताड़ा जिलान्तर्गत ग्राम–केलाबी, टोला–हुचुकपाड़ा, थाना–मिहिजाम के शिशु सोरेन का शव दिनांक–10.02.2017 को रामपाड़ा के समीप मैथन डेम में तैरता हुआ मिला, जिसे पुलिस की मौजुदगी में बरामद किया गया था और बरामद शव में चोट के निशान पाये गये थे।	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि मृतक के पुत्र सागर सोरेन के लिखित आवेदन पर अज्ञात के विरुद्ध मिहिजाम थाना कांड सं0–19/17, दिनांक–10.02.2017 दर्ज किया गया एवं कुछ दिनों के बाद गाँव से प्राप्त चर्चा एवं परिस्थिति जन्म साक्ष्य के आधार पर पुनः नामजद कर आवेदन दिया गया था।	मिहिजाम थाना कांड सं0–19/17, दिनांक–10.02.2017, धारा–302/201/34 भा0द0वि0 के अन्तर्गत दर्ज किया गया है तथा अनुसंधान के क्रम में आवेदन में उल्लेख किये गये अभियुक्तों के संदर्भ में छानबीन किया गया है।
3	यह बात सही है कि दोनों आवेदन के आधार पर मुकदमा का संधारण नहीं किया जा रहा है तथा अभी तक नामजद अभियुक्तों के गिरफ्तार नहीं किया गया है।	आवेदन के आधार पर थाना दैनिकी में प्रविष्टि एवं प्राथमिकी दर्ज किया गया है एवं काण्ड अनुसंधान अन्तर्गत है।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार नामजद अभियुक्तों को गिरफ्तार करके विधि सम्मत कार्रवाई करना चाहती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	अनुसंधान में आये साक्ष्यों के आधार पर विधि सम्मत कार्रवाई की जायेगी।

झारखण्ड सरकार
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग

ज्ञापांक–08/वि0स0(04)–03/2018 440 / राँची, दिनांक–24/01/2018 ई०।

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक–502, दिनांक–15.01.2018 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24/1/18

सरकार के संयुक्त सचिव

डिस्प्ले बोर्ड लगाना ।

*319. श्री मनीष जायसवाल--क्या मंत्री, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य सरकार, राज्य के प्रत्येक जिलों में सरकारी योजनाओं की जानकारी लोगों को डिस्प्ले बोर्ड के माध्यम से कर रही है ।

(2) क्या यह बात सही है कि हजारीबाग जिला मुख्यालय स्थित झण्डा चौक एवं मटवारी मैदान के समीप स्थानीय एवं ग्रामीण लोगों का आवागमन अधिक रहता है जहाँ एक भी डिस्प्ले बोर्ड नहीं लगे रहने के कारण लाखों लोगों को योजनाओं की जानकारी नहीं मिल पा रही है ।

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार जनहित में खण्ड-2 में वर्णित स्थल पर उक्त बोर्ड लगाने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री-- (1) स्वीकारात्मक ।

(2) झण्डा चौक पर एल०ई०डी० डिस्प्ले बोर्ड के संस्थापन की प्रक्रिया चल रही है ।

(3) वर्तमान में झण्डा चौक पर एल०ई०डी० संस्थापन की कार्रवाई प्रक्रियारत है ।

श्रीमती निर्मला देवी, मा0स0वि0स0 के द्वारा दिनांक–29.01.2018 को पूछे जानेवाले तारांकित प्रश्न सं0–ग–29 का उत्तर प्रतिवेदन।

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि मुख्य सचिव, झारखण्ड, रांची को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा पत्रांक संख्या – 318/CS-JH/2/2016-BIEN/46 दिनांक –13.06.2017 में अपर पुलिस महानिदेशक, विशेष शाखा श्री अनुराग गुप्ता एवं मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार श्री अजय कुमार पर कार्रवाई करने का आदेश प्राप्त था ;	स्वीकारात्मक
2	क्या बात सही है कि मुख्य सचिव, झारखण्ड, राँची के द्वारा लगभग सात माह बीत जाने के बाद भी अभी तक कोई विभागीय कार्रवाई नहीं हो पायी है ;	इस विषय से संबंधित मा0 उच्च न्यायालय में Election petition No- 01/2016 निर्मला देवी बनाम मुख्तार अब्बास नकबी एवं अन्य दायर है जो फिलहाल लंबित है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार अपर पुलिस महानिदेशक, विशेष शाखा श्री अनुराग गुप्ता एवं मुख्यमंत्री के सलाहकार श्री अजय कुमार पर विभागीय कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	उपर्युक्त कंडिका–2 में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।

झारखण्ड सरकार
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

ज्ञापांक – 14 / वि0 स0–01 / 2018 - 586 / रांची, दिनांक 28 / 01 / 2018 ई0।

प्रतिलिपि :– 200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक–808, दिनांक–19.01.2018 के प्रसंग में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28/1/18

सरकार के संयुक्त सचिव।

321

श्री अमित कुमार, माननीय स०वि०स० के द्वारा दिनांक–29.01.2018 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–ग०–21 का उत्तर

प्रश्न	उत्तर
1. क्या यह बात सही है कि राँची जिलान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2015–16 एवं 2016–17 में सिल्ली प्रखण्ड के गोड़ाहीह पंचायत के हरि बेदिया, बोंसारूली पंचायत के ग्राम–जामटोला के मथुर बेदिया एवं उषा देवी, सोनाहातु प्रखण्ड के लान्दुपढीह पंचायत स्थित सितुमडीह ग्राम के भीम कुम्हार, ग्राम–तेतरटांड (कोंकाडीह) के गोवर्धन अहीर, जिलिंगसेरेंग पंचायत के मेघनाथ पुरान, तेलवाडीह पंचायत के ग्राम–डिबाडीह के दुर्गाचरण साहु जिलिंगसेरेंगे पंचायत के मेघनाथ उराव, गलउ पंचायत के दिड़सिर ग्राम के मोतीराम महतो, राहे प्रखण्ड के बी० नावाडीह पंचायत स्थित ग्राम–बारूडीह के मनबोध महतो एवं जोगाई महतो तथा ग्राम–बुकरूडीह के सोहन कोईरी, होटलों पंचायत स्थित ग्राम फुलवार के देवनारायण सिंह के मकान एवं दुकान जल कर नष्ट हो गये हैं ;	उपायुक्त, राँची, द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि उल्लेखित घटना वित्तीय वर्ष 2015–16 एवं 2016–17 की नहीं है, बल्कि वित्तीय वर्ष 2017–18 के अंतर्गत घटित है। राज्य आपदा मोचन निधि मद एवं मानदण्ड में निहित प्रावधान के अनुरूप प्रभावित व्यक्तियों को आर०टी०जी०एस के माध्यम से आपदा सहायता राशि का भुगतान की कार्रवाई की जा रही है, जिसकी अंचलवार विवरणी निम्नवत् है :– (i) सिल्ली अंचल – 6,400/– (ii) राहे अंचल – 9,600/– (iii) सोनाहातु अंचल – 95,100/–
2. क्या यह बात सही है कि उक्त व्यक्तियों को अब तक सरकार की ओर से कोई मुआवजा नहीं दिया गया है ;	उपर्युक्त कंडिका में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खण्ड 1 में वर्णित व्यक्तियों को निर्धारित मुआवजा राशि चालू वित्तीय वर्ष में देने का विचार रखती है, हाँ तो कबतक नहीं तो क्यों ?	उपर्युक्त कंडिका में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

झारखण्ड सरकार
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग
(आपदा प्रबंधन प्रभाग)

ज्ञापांक–07/गृ०का०आ०प्र०(विधायी)–07/2018–95/आ०प्र०, राँची, दिनांक– 27.01.2018

प्रतिलिपि–उप सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप सं०–612, दिनांक–15.01.2018 के प्रसंग में/विशेष सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (संसदीय कार्य), झारखण्ड, राँची/माननीय मुख्य (विभागीय) मंत्री के आप्त सचिव, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड, राँची/प्रधान सचिव कोषांग, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड, राँची/श्री अनिल कुमार सिंह, संयुक्त सचिव, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड, राँची को ऑनलाईन प्रश्नोत्तर प्रणाली में उत्तर अपलोड करने निमित्त सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27/01/2018
सरकार के अवर सचिव

323

श्री देवेन्द्र कुमार सिंह, मा०स०वि०स० के द्वारा दिनांक–29.01.2018 को पूछे जानेवाले तारांकित प्रश्न सं०–ग–25 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि पलामू जिले के मनातू प्रखण्ड अति उग्रवाद से प्रभावित है ;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि मनातू प्रखण्ड के पदमा पिकेट को ओ०पी० में परिणत करने हेतु पुलिस अधीक्षक, उपमहानिरीक्षक, महानिरीक्षक, पलामू द्वारा सरकार को अभियाचना भेज दी गयी है ;	स्वीकारात्मक।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार पदमा पिकेट को ओ०पी० में परिणत करना चाहती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	सम्प्रति पलामू जिला के पदमा पिकेट को ओ०पी० में परिणत करने का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

झारखण्ड सरकार,
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

ज्ञापांक–16 / वि०स०–09 / 2018–579 / रांची, दिनांक– 27/01/2018ई०।

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक–261, दिनांक–16.01.2018 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27/1/18
सरकार के संयुक्त सचिव।

324

श्री डॉ० जीतू चरण राम, मा०स०वि०स० के द्वारा दिनांक–29.01.2018 को पूछे जानेवाले तारांकित प्रश्न सं०–ग–38 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि केन्द्रीय कारा होटवार राँची में कार्यरत भूतपूर्व सैनिकों की वेतनवृद्धि 5,000/–रूपये प्रति माह के दर से 2 दिसम्बर, 2016 के बजाय 18 अगस्त 2017 से लागू हुई है जबकि इसे 2 दिसम्बर, 2016 से ही मिलना चाहिए था ;	अस्वीकारात्मक। गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड के आदेश सं०–4569, दिनांक–18.08.2017 द्वारा राज्य की काराओं में कक्षपाल/उच्च कक्षपाल के रिक्त पदों पर अनुबंध/संविदा के आधार पर नियुक्त भूतपूर्व सैनिकों का एक मुश्त संविदा राशि रूपये 15,000/–(पन्द्रह हजार रूपये) मात्र से बढ़ाकर रूपये–20,000/–(बीस हजार रूपये) मात्र प्रतिमाह दिया गया है। साथ ही यह बढ़ोत्तरी आदेश निर्गत की तिथि से लागू है।
2	क्या यह बात सही है कि 2 दिसम्बर, 2016 से 17 अगस्त 2017 तक (लगभग साढ़े आठ महीने) का एरियर झारखण्ड के कारा में नियुक्त भूतपूर्व सैनिकों को नहीं दिया गया है ;	अस्वीकारात्मक। बढ़ोत्तरी आदेश निर्गत की तिथि दिनांक–18.08.2017 से लागू है।
3	क्या यह बात सही है कि सैप वाहिनी के नम्बर–1 और नम्बर–2 बटालियन में नियुक्त भूतपूर्व सैनिकों को इस वेतनवृद्धि का भुगतान 2 दिसम्बर, 2016 से ही हो रहा है ;	स्वीकारात्मक।
4	यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार इस दिशा में विचार करते हुए केन्द्रीय कारा होटवार, राँची में कार्यरत भूतपूर्व सैनिकों की वेतन वृद्धि का एरियर भुगतान करना चाहती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	उपरोक्त कंडिका–1, 2 तथा 3 के आलोक में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।

झारखण्ड सरकार,
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

ज्ञापांक–11/वि०स०–09/2018–573/ राँची, दिनांक–27/01/2018 ई०।

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक–1000, दिनांक–23.01.2018 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27/1/18

सरकार के संयुक्त सचिव।

325

श्री योगेन्द्र प्रसाद, मा०स०वि०स० के द्वारा दिनांक–29.01.2018 को पूछे जानेवाले तारांकित प्रश्न सं०–ग–07 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि बोकारो जिला अंतर्गत गोमिया प्रखण्ड के महुआटांड थाना कांड संख्या–28/2015, दिनांक–28.03.2015 को विस्फोटक एक्ट की धारा–4/5 एवं सी०एल०ए० एक्ट की धारा 17 के तहत् प्राथमिकी दर्ज की गई है, जिसमें अनिल हांसदा, ग्राम–अईयर, पोस्ट+थाना–ललपनिया एवं सुनील किस्कू, ग्राम–अम्बाडीह, पंचायत–टीकाहारा, थाना–महुआटांड़ का नाम भी प्राथमिकी में दर्ज किया गया है ;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि उक्त प्राथमिकी में इन दोनों के विरूद्ध कोई ठोस साक्ष्य एवं स्वतंत्र गवाह नहीं होने के बावजूद भी इनका नाम प्राथमिकी में दर्ज किया गया है;	अस्वीकारात्मक। महुआटांड थाना कांड सं०–28/15 के अनुसंधान एवं पर्यवेक्षण में दोनों क्रमशः अनिल हांसदा, ग्राम–अईयर, पो०+थाना–ललपनिया एवं सुनील किस्कू/सुनील हांसदा, ग्राम–अम्बाडीह, पंचायत–टीकाहारा, थाना–महुआटांड के विरूद्ध काण्ड सत्य पाया गया है।
3	यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त मामले की उच्च स्तरीय जाँच कराकर निर्दोष गरीब आदिवासी ग्रामीणों को इंसाफ दिलाने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों?	कंडिका–02 में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।

झारखण्ड सरकार,
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

ज्ञापांक–08/वि०स०(04)–06/2018–474/ राँची, दिनांक–27/01/2018ई०।

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक–319, दिनांक–13.01.2018 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

29/1/18

सरकार के संयुक्त सचिव।

326

श्री कुशवाहा शिवपूजन मेहता, मा०स०वि०स० के द्वारा दिनांक–29.01.2018 को पूछे जानेवाले तारांकित प्रश्न सं०–ग–24 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि पलामू जिलान्तर्गत हुसैनाबाद विधान सभा क्षेत्र में 4 वर्ष पूर्व उपकारा के निर्माण हेतु भू–अर्जन के लिए प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई थी ;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि 4 वर्ष पूर्व भू–अर्जन की प्रशासनिक स्वीकृति के बावजूद उपकारा के निर्माण की दिशा में कोई कार्रवाई नहीं हुई है ;	अस्वीकारात्मक। योजना सह वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची से प्राप्त परामर्श के आलोक में उपकारा के निर्माण हेतु जिला स्तर पर सरकारी भूमि चयन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार अविलम्ब उपकारा का निर्माण कराना चाहती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	हुसैनाबाद अनुमण्डल में न्यायालय के निर्माण के साथ ही कारा के निर्माण का कार्य किया जायेगा।

झारखण्ड सरकार,
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

ज्ञापांक–11 / वि०स०–05 / 2018–582 / राँची, दिनांक– 27/01/2018ई०।

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक–622, दिनांक–16.01.2018 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27/1/18
सरकार के संयुक्त सचिव।

327

श्री शिवशंकर उराँव, मा०स०वि०स० के द्वारा दिनांक–29.01.2018 को पूछे जानेवाले तारांकित प्रश्न सं०–का–03 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि गुमला जिला के डुमरी प्रखण्ड का लातेहार जिला से सटे जैरागी क्षेत्र तथा गुमला प्रखण्ड का पूर्वी मुरकुन्डा क्षेत्र जिला का उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र के रूप में चिन्हित है ।	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि प्रखण्ड मुख्यालय से दूर होने के कारण असामाजिक तत्वों एवं उग्रवादियों के आपराधिक गतिविधियों पर नियंत्रण स्थापित करने में पुलिस प्रशासन को काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है ।	आंशिक स्वीकारात्मक।
3	क्या यह बात सही है कि ऐसे तत्वों के आपराधिक गतिविधियां रोकने और नियंत्रिण करने तथा दूरस्थ क्षेत्र के निवासियों की जानमाल की सुरक्षा और संरक्षण हेतु गृह विभाग द्वारा पुलिस पोस्ट अथवा नया थाना स्थापित करने की मांग वहाँ के आम लोगों द्वारा किया जाता रहा है ।	अस्वीकारात्मक।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार डुमरी प्रखण्ड के जैरागी में यथा गुमला प्रखण्ड के मुरकुन्डा में पुलिस पोस्ट अथवा थाना स्थापित करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	वर्त्तमान में डुमरी प्रखण्ड के जैरागी में तथा गुमला प्रखण्ड के मुरकुन्डा में पुलिस पोस्ट अथवा थाना स्थापित करने संबंधी प्रस्ताव पुलिस मुख्यालय से प्राप्त नहीं हुआ है। प्रस्ताव प्राप्त होने पर यथोचित कार्रवाई की जाएगी।

झारखण्ड सरकार,
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

ज्ञापांक–16/वि०स०–04/2018–585/ राँची, दिनांक–27/01/2018ई०।

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक–217, दिनांक–19.01.2018 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27/1/18

सरकार के संयुक्त सचिव।

328

माननीय स०वि०स० श्रीमती विमला प्रधान द्वारा दिनांक 29.01.2018 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–का–17 का उत्तर।

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि राज्य की स्थानीय नीति के अनुसार तृतीय एवं चतुर्थ वर्ग की कर्मचारियों की नियुक्ति जिला के लोगों की होगी एवं अधिसूचित क्षेत्र में 10 वर्षों (दस वर्षों) के लिए स्थानीय निति को फ्रीज कर दी गयी है;	आंशिक स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है सरकार द्वारा तृतीय वर्ग की नियुक्ति J.S.S.C. द्वारा की जा रही है जिसमें State Roaster लागु किया जा रहा है साथ ही चतुर्थ वर्ग की नियुक्ति में Outsoureing का पैमाना अपनाया गया है;	आंशिक स्वीकारात्मक।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार बनायी गयी स्थानीय नीति के अनुसार तृतीय एवं चतुर्थ वर्ग की नियुक्ति करेगी, हाँ, तो कब तक, नहीं, तो क्यों?	उपर्युक्त खण्डों में स्थिति स्पष्ट है।

झारखण्ड सरकार

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

ज्ञापांक–15/ज्ञा०वि०स०–15–08/2018 का०– 763 /राँची, दिनांक– 25·1·18

प्रतिलिपि–उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक–730 दिनांक–17.01.2018 के प्रसंग में 250 प्रतियों में आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

25/1/18

(सुनीत कुमार)

सरकार के अवर सचिव।

329

श्री हरिकृष्ण सिंह, मा०स०वि०स० के द्वारा दिनांक–29.01.2018 को पूछे जानेवाले तारांकित प्रश्न सं०–ग–35 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि लातेहार जिला के छिपादोहर में प्राथमिक स्वास्थ्य उपकेन्द्र भवन में थाना स्थापित एवं कार्यान्वित है ;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि थाना भवन का निर्माण नहीं होने के कारण पुलिस अधिकारी एवं जवानों का आवासन एवं सुरक्षा आदि में कठिनाई होती है,	स्वीकारात्मक।
3	यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार छिपादोहर थाना भवन का निर्माण कराना चाहती है, हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों?	विशेष आधारभूत संरचना (SIS) के अंतर्गत 77 फोर्टिफाईड थाना के निर्माण की योजना (वर्ष 2017–18 से 2019–20 तक की अवधि में) है जिसके तहत लातेहार जिला का छिपादोहर थाना के निर्माण की भी योजना को सम्मिलित किया गया है। भारत सरकार से योजना की स्वीकृति प्राप्त होने पर उक्त थाना के निर्माण की कार्रवाई करायी जायेगी।

झारखण्ड सरकार,
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

ज्ञापांक–03/वि०स०–1001/2018–476/ राँची, दिनांक–27/01/2018ई०।

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक–928, दिनांक–21.01.2018 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27.1.18

सरकार के संयुक्त सचिव।

330

माननीय स०वि०स० श्री फूलचन्द मंडल द्वारा दिनांक 29.01.2018 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–का–01 का उत्तर।

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि धनबाद जिला के गोविन्दपुर, निरसा, कतियासोल, एग्यारकुण्ड, पूर्वी टुण्डी एवं टुण्डी प्रखण्डों को मिलाकर गोविन्दपुर को अनुमंडल बनाने की माँग झारखण्ड गठन के बाद से ही किया जा रहा है;	अस्वीकारात्मक। धनबाद जिलान्तर्गत गोविन्दपुर को अनुमण्डल का दर्जा देने के संबंध में प्रमंडलीय आयुक्त, उत्तरी छोटानागपुर प्रमण्डल, हजारीबाग एवं उपायुक्त, धनबाद द्वारा अनुशंसित प्रस्ताव प्राप्त नहीं है।
2.	क्या यह बात सही है कि सदर अनुमंडल धनबाद, नगर निगम धनबाद के अधिकार क्षेत्र में है तथा इसके अन्तर्गत धनबाद जिले के सभी 11 प्रखण्डों के लोगों के कार्यों का सम्पादन होता है;	आंशिक स्वीकारात्मक।
3.	क्या यह बात सही है उपर्युक्त कार्यालय, बिनोद बिहारी महतो विश्वविद्यालय, धनबाद, सिविल कोर्ट धनबाद के नव भवन निर्माण का प्रस्ताव वर्तमान में गोविन्दपुर अंचल के अन्तर्गत ही है;	स्वीकारात्मक।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार, सदर अनुमंडल धनबाद को दो भागों में विभक्त करते हुये खण्ड 1 में वर्णित प्रखण्डों को मिलाकर ग्रामीण अनुमंडल, गोविन्दपुर का सृजन करना चाहती है, हाँ, तो कबतक, नहीं तो क्यों?	गोविन्दपुर को अनुमण्डल का दर्जा देने से संबंधित उपायुक्त, धनबाद एवं प्रमंडलीय आयुक्त, उत्तरी छोटानागपुर प्रमण्डल, हजारीबाग की अनुशंसा सहित प्रस्ताव प्राप्त होने के पश्चात् समीक्षोपरान्त इसे प्रशासनिक इकाईयों के सृजन/पुनर्गठन हेतु उच्चस्तरीय समिति की बैठक में रखा जायेगा एवं उक्त समिति की अनुशंसा के आलोक में नये अनुमण्डल सृजन के बिन्दु पर निर्णय लिया जा सकेगा।

झारखण्ड सरकार

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

ज्ञापांक–15/झा०वि०स०–15–01/2018 का०– 764 /राँची, दिनांक– 25.1.18

प्रतिलिपि–उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक–53 दिनांक–08.01.2018 के प्रसंग में 250 प्रतियों में आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

25/1/18

(सुनीत कुमार)

सरकार के अवर सचिव।

331

श्री शशि भूषण सामाड़, मा०स०वि०स० के द्वारा दिनांक–29.01.2018 को पूछे जानेवाले तारांकित प्रश्न सं०–ग–16 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि पुलिस महानिरीक्षक, गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निशामक सेवा, झारखण्ड, राँची के पत्रांक–1106, दिनांक–05.07.2017 को आलोक में पश्चिम सिंहभूम जिला अंतर्गत चक्रधरपुर अनुमण्डल में अग्निशामक केन्द्र स्थापित करने हेतु 1.5 एकड़ का भूखण्ड उपलब्ध कराने के लिए विभागीय पत्रांक–4589, दिनांक–04.08.2017 द्वारा उपायुक्त, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा को अधियाचना भेजी गई है;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि अब तक चक्रधरपुर अनुमण्डल में अग्निशामक केन्द्र स्थापित करने के लिए उपयुक्त भूखण्ड प्राप्त करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई है,	अस्वीकारात्मक। पुलिस महानिरीक्षक, गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निशामक सेवा, झारखण्ड, राँची के पत्रांक 1106 दिनांक 05.07.2017 के आलोक में विभागीय पत्रांक 4589 दिनांक 04.08.2017 द्वारा प० सिंहभूम जिला अंतर्गत चक्रधरपुर एवं जगन्नाथपुर में अग्निशामालय सह आवासीय भवन निर्माण के लिए 1.5–1.5 एकड़ भूमि उपलब्ध कराने के लिए उपायुक्त, प० सिंहभूम चाईबासा को अधियाचना भेजी गई है। अपर उपायुक्त, प० सिंहभूम, चाईबासा के पत्रांक 241(A)/रा० दिनांक 13.12.2017 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि प० सिंहभूम जिला अंतर्गत चक्रधरपुर एवं जगन्नाथपुर में अग्निशामालय –सह– आवासीय भवन निर्माण हेतु 1.5 एकड़ भूमि का चयन कर ली गई है। राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड के संकल्प संख्या–5504/रा० दिनांक 07.10.2016 के द्वारा उपायुक्त को अंतर्विभागीय निःशुल्क भूमि स्थानांतरण से संबंधित सभी मामलों के निष्पादन की शक्ति प्रत्यायोजित की गई है। इसके आलोक में उक्त प्रयोजनार्थ निःशुल्क भूमि स्थानांतरण हेतु गृह विभाग द्वारा पुनः अधियाचना उपायुक्त, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा को भेजी गई है। चक्रधरपुर एवं जगन्नाथपुर में अग्निशामालय –सह– आवासीय भवन निर्माण हेतु 1.5–1.5 एकड़ भूमि उपलब्ध कराने के लिए विभागीय पत्रांक 315 दिनांक 17.01.2018 द्वारा पुनः अधियाचना भेजी गई है।
3	यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार चक्रधरपुर अनुमण्डल में भूखण्ड चिन्हित कर अग्निशामक केन्द्र स्थापित करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों?	कंडिका–2 में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।

झारखण्ड सरकार,
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

ज्ञापांक–05/वि०स०–07/02/2018 441 / राँची, दिनांक– 24/01/2018 ई०।

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक–500, दिनांक–15.01.2018 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24/1/18

सरकार के संयुक्त सचिव।

333

माननीय स०वि०स० श्री दुलू महतो द्वारा दिनांक 29.01.2018 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–का–19 का उत्तर।

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि छठे वेतन आयोग की अनुशंसा की आलोक में राज्य सरकार द्वारा अपने सभी कर्मियों का सेवाशर्त वेतन आदि निर्धारित कर दिया गया है;	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड राज्य के योग्यताधारी चतुर्थवर्गीय कर्मचारियों के सेवाशर्त का निर्धारण केन्द्र सरकार की अनुशंसा अनुरूप नहीं किया गया;	अस्वीकारात्मक। समूह–घ के संदर्भ में छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की अनुशंसा में निम्न तथ्य समाहित है– (i) भविष्य में समूह–घ के पदों पर नियुक्ति नहीं की जाय। (ii) समूह–ग के पद पर निर्धारित शैक्षणिक योग्यता धारण करनेवाले समूह–घ के कर्मियों को समूह–ग के Running Pay Band पर दिनांक–01.01.2006 के प्रभाव से Placed किया जाय। (iii) समूह–घ के वैसे कर्मी, जो समूह–ग के पद के लिए निर्धारित योग्यता धारित नहीं करते है, उन्हें आवश्यकतानुसार प्रशिक्षण देने के उपरांत समूह–ग के Running Pay Band पर उत्क्रमित करते हुए Placed किया जाय। छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की अनुशंसा एवं झारखण्ड राज्य में व्याप्त सामाजिक, शैक्षणिक एवं आर्थिक स्थिति को दृष्टिपथ में रखते हुए समूह–घ के कर्मियों की अवधारणा को बरकरार रखते हुए उनके वेतनमान में संशोधन करते हुए वित्त विभाग, झारखण्ड के संकल्प संख्या–1559 दिनांक–02.09.2011 के द्वारा दसवीं उतीर्ण समूह–घ के राज्य कर्मियों को दिनांक–01.04.2011 के प्रभाव से उत्क्रमित वेतनमान पी०बी०–1, 5200–20200/–, ग्रेड वेतन रू० 1800/– एवं दसवीं अनुतीर्ण (नन मैट्रिक) समूह–घ के राज्य कर्मियों को पे बैण्ड -1S ग्रेड पे रू० 1650/– अनुमान्य किया गया है। उल्लेखनीय है कि कार्मिक विभाग के संकल्प संख्या–6216 दिनांक–30.06.2010 के द्वारा केन्द्र के अनुरूप राज्य के सरकारी सेवकों/पदों को ग्रेड पे के आधार पर वर्गीकृत किया गया है, जिसके अनुसार पी०बी० 1, वेतनमान 5200–20200, ग्रेड पे 1800/– समूह–'ग' के रूप में वर्गीकृत है।
3.	क्या यह बात भी सही है कि केन्द्र सरकार द्वारा अपने योग्यताधारी चतुर्थवर्गीय कर्मचारियों को लिपिकीय संवर्ग में पदोन्नत कर दिया गया है परन्तु राज्य के योग्यताधारी चतुर्थवर्गीय कर्मचारियों की माँग लम्बे समय से विचाराधीन है;	अस्वीकारात्मक। उपर्युक्त कंडिका–2 में स्थिति स्पष्ट की गयी है। राज्य के योग्यताधारी समूह–घ के कर्मियों को लिपिकीय संवर्ग में प्रोन्नति प्रदान करने के निमित्त राज्य में सचिवालय स्तर एवं क्षेत्रीय स्तर पर लिपिकीय संवर्ग के पदों पर नियुक्ति एवं सेवाशर्त से संबंधित अलग–अलग नियमावलियाँ अधिसूचित है, जिसके अनुसार समूह–ग के 15 प्रतिशत पदों पर समूह–घ के अर्हताधारी कर्मियों को सीमित प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से नियुक्त करने का प्रावधान है।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार केन्द्र सरकार के अनुरूप राज्य के योग्यताधारी चतुर्थवर्गीय कर्मचारियों का सेवाशर्त का निर्धारण व पदोन्नति देने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	उपर्युक्त खण्डों में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।

झारखण्ड सरकार

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

ज्ञापांक–15/ज्ञा०वि०स०–15–07/2018 का– 765 /राँची, दिनांक– 25.1.18

प्रतिलिपि–उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक–840 दिनांक–19.01.2018 के प्रसंग में 250 प्रतियों में आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

25/1/18

(सुनील कुमार)

सरकार के अवर सचिव।

334

श्री भानू प्रताप शाही, माननीय स०वि०स० के द्वारा दिनांक–29.01.2018 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–ग०–10 का उत्तर

प्रश्न	उत्तर
1. क्या यह बात सही है कि अतिवृष्टि के कारण भवनाथपुर विधान सभा क्षेत्र के खरौंधी, केसार एवं भवनाथपुर में सैकड़ों घर, पुल–पुलिया, सड़क, अहरा, बांध, तालाब, तटबंध एवं पोखरा ध्वस्त हो गये है, एवं जनजीवन अस्त–व्यस्त हो गया है ;	आंशिक स्वीकारात्मक।
2. क्या यह बात सही है कि अभी तक जनता के नुकसान का भरपाई के लिए कोई भी मुआवजा का वितरण तथा टुटे हुए सैकड़ों घर, पुल–पुलिया, सड़क, बांध, तालाब, तटबंध एवं पोखरा का मरम्मति नहीं किया गया है ;	उपायुक्त, गढ़वा के प्रतिवेदनानुसार प्रभावितों को सहायता राशि का भुगतान हेतु खरौंधी अंचल को 26.09 लाख, केसार अंचल को 32.08 लाख तथा भवनाथपुर अंचल को 16.08 लाख रूपये की राशि भुगतान की गई है। मानव क्षति, मकान का पूर्ण/आंशिक क्षति से संबंधित सहायता राशि का भुगतान कर दिया गया है। पुल–पुलिया, रास्ता आदि की मरम्मति हेतु उपायुक्त के द्वारा अधियाचित राशि के आवंटन संबंधी आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार अतिवृष्टि से हुए नुकसान के लिए मुआवजा तथा बड़े पैमाने पर राहत कार्य चलाने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	उपर्युक्त कंडिका में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

झारखण्ड सरकार
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग
(आपदा प्रबंधन प्रभाग)

ज्ञापांक–07/गृ०का०आ०प्र०(विधायी)–05/2018–73/आ०प्र०, राँची, दिनांक– 24/01/18

प्रतिलिपि–उप सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप सं०–316, दिनांक–13.01.2018 के प्रसंग में/विशेष सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (संसदीय कार्य), झारखण्ड, राँची/माननीय मुख्य (विभागीय) मंत्री के आप्त सचिव, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड, राँची/प्रधान सचिव कोषांग, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड, राँची/श्री अनिल कुमार सिंह, संयुक्त सचिव, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड, राँची को ऑनलाईन प्रश्नोत्तर प्रणाली में उत्तर अपलोड करने निमित्त सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के विशेष सचिव

337

श्री राम कुमार पाहन, माननीय स०वि०स० के द्वारा दिनांक–29.01.2018 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–ग०–03 का उत्तर

प्रश्न	उत्तर
1. क्या यह बात सही है कि राँची जिलान्तर्गत नामकोम प्रखण्ड स्थित सभी सरकारी स्कूलों, प्रमुख धार्मिक स्थलों, कस्तूरबा विद्यालयों, आदिवासी कल्याण विद्यालयों, राज्य के महत्वपूर्ण भवनों एवं सार्वजनिक स्थलों में तड़ित चालक आदि का व्यवस्था अबतक नहीं किया गया है ;	विभाग द्वारा राज्य के समस्त सरकारी विद्यालयों में तड़ित चालक/रोधक अधिष्ठापित करने हेतु स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग एवं राज्य के प्रमुख धार्मिक स्थलों पर तड़ित चालक/रोधक अधिष्ठापित करने हेतु पर्यटन, कला–संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग को और राज्य के महत्वपूर्ण भवनों, सार्वजनिक स्थल, सभी कस्तूरबा विद्यालय एवं आदिवासी कल्याण विद्यालय परिसरों में तड़ित रोधक अधिष्ठापित करने हेतु भवन निर्माण विभाग/स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग/कल्याण विभाग, झारखण्ड को निदेशित किया गया है।
2. क्या यह बात सही है कि उक्त क्षेत्र में बरसात के दिनों में हमेशा वज्रपात होता रहता है, जिससे जानमाल की काफी क्षति होती है;	उपायुक्त, राँची के प्रतिवेदनानुसार वर्त्तमान वित्तीय वर्ष में नामकोम अंचल अंतर्गत वज्रपात से एक व्यक्ति की मृत्यु, दो घायल एवं एक पशु की क्षति का मामला प्रकाश में आया है, जिसकी सहायता राशि का भुगतान आपदा राहत के प्रावधान के आलोक में किया जा चुका है।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो, क्या सरकार उक्त क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थानों पर तड़ित चालक यंत्र की व्यवस्था वित्तीय वर्ष 2018–2019 में कराने का विचार रखती है हों, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	उपर्युक्त कंडिका–1 में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

झारखण्ड सरकार
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग
(आपदा प्रबंधन प्रभाग)

ज्ञापांक–07/गृ०का०आ०प्र०(विधायी)–01/2018–72/आ०प्र०, राँची, दिनांक– 24/01/18

प्रतिलिपि–उप सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप सं०–56, दिनांक–08.01.2018 के प्रसंग में/विशेष सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (संसदीय कार्य), झारखण्ड, राँची/माननीय मुख्य (विभागीय) मंत्री के आप्त सचिव, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड, राँची/प्रधान सचिव कोषांग, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड, राँची/श्री अनिल कुमार सिंह, संयुक्त सचिव, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड, राँची को ऑनलाईन प्रश्नोत्तर प्रणाली में उत्तर अपलोड करने निमित्त सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के विशेष सचिव

श्री साधुचरण महतो, माननीय स०वि०स०द्वारा दिनांक–29.01.2018 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–का0–11 का उत्तर प्रतिवेदन।

क्र. सं.	प्रश्न	उत्तर
01.	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड प्रदेश की कुड़मी एवं कुर्मी (महतो) जाति की रहन–सहन, वेश–भूषा, रीति–रिवाज, कला संस्कृति आदि अनुसूचित जनजाति सूची में शामिल जातियों के समान ही है, इसे देखते हुए अंग्रेजों ने 1932 में कुड़मी एवं कुर्मी (महतो) जाति को प्रिमिटिव ट्राइब की सूची में रखा था, परन्तु झारखण्ड प्रदेश में अब कुड़मी एवं कुर्मी (महतो) को ओ0बी0सी0 की श्रेणी में रखा जाता है जिससे यहाँ के कुड़मी एवं कुर्मी (महतो) जाति के लोग एस0टी0 की सूची में पुनः शामिल करने को लेकर बराबर धरना प्रदर्शन, आन्दोलन, अनशन आदि करते रहते हैं.;	स्वीकारात्मक। झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम, 2001 के अनुसार अत्यन्त पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची 1) के क्रमांक 6 पर कुड़मी/कुर्मी (महतो) दर्ज है। झारखण्ड राज्य के लिए OBC की केन्द्रीय सूची में क्रमांक 63 पर कुर्मी (महतो) दर्ज है।
02.	यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार जनहित में कुड़मी एवं कुर्मी (महतो) को पुनः एस0टी0 की सूची में शामिल करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	दिनांक–23.11.2004 को मंत्रिपरिषद की बैठक में लिए निर्णय के आलोक कुड़मी/कुर्मी (महतो) को अनुसूचित जनजाति की सूची में भारत सरकार से पत्र सं0–6336, दिनांक–08.12.2004 द्वारा पुनर्विचार करने का अनुरोध किया गया था, जिसे भारत सरकार द्वारा स्वीकार नहीं किया गया। उठती हुई मांगों को देखते हुए झारखण्ड राज्य में निवासरत कुड़मी/कुर्मी (महतो) जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने के उद्देश्य से सामाजिक, शैक्षिक एवं आर्थिक स्थिति पर क्षेत्र सर्वेक्षण के आधार पर प्रतिवेदन की मांग डॉ0 रामदयाल मुण्डा जनजातीय कल्याण शोध संस्थान से की गई है। प्रतिवेदन अभी प्राप्त नहीं है। प्रतिवेदन प्राप्त होने पर इस सम्बन्ध में विचार हो सकेगा।

झारखण्ड सरकार,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

ज्ञापांक–14/झा0वि0स0–07–08/2018 का0– 691 /रांची, दिनांक 24/01/18

प्रतिलिपि– उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा, रांची को उनके पत्र, ज्ञाप संख्या–514/वि0स0, दिनांक–15.01.2018 के प्रसंग में 250 (दो सौ पचास) प्रतियों में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(दिवाकर [illegible] सिंह)
सरकार के संयुक्त सचिव।

339

श्री केदार हजरा, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–29.01.2018 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–का0–15 का उत्तर प्रतिवेदन।

क्र.	प्रश्न	उत्तर
01.	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड राज्य में अनुसूचित जाति की जनसंख्या 14% है,	अस्वीकारात्मक।
02.	क्या यह बात सही है कि राज्य की जनसंख्या के अनुरूप राज्य के कर्मियों (राजपत्रित एवं अराजपत्रित) को 14% आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा है,	स्वीकारात्मक।
03.	क्या यह बात सही है कि अनुसूचित जाति के कर्मचारियों को नियमित प्रोन्नति में नियमित आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाता है,	अस्वीकारात्मक।
04.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार वैकलॉक राज्य के कर्मियों को अनुसूचित जाति के राजपत्रित तथा अराजपत्रित कर्मचारियों को पूर्ण आरक्षण का लाभ देना चाहती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम, 2001 की धारा 4(2)(क) के द्वितीय परन्तुक के अनुसार प्रोन्नति के मामले में केवल अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए इस धारा के अधीन यथा उपबंधित अनुपात में आरक्षण किया जाएगा। इस प्रकार अनुसूचित जाति को जिस अनुपात में नियुक्ति में आरक्षण उपलब्ध है उसी अनुपात में प्रोन्नति के मामले में उन्हें आरक्षण दिया जा रहा है।

झारखण्ड सरकार,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

ज्ञापांक–14 / ज्ञा0वि0स0–07–10 / 2018 का0–687 / रांची, दिनांक 24/01/18

प्रतिलिपि– उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा, रांची को उनके पत्र, ज्ञाप संख्या–619 / वि0स0, दिनांक–16.01.2018 के प्रसंग में 250 (दो सौ पचास) प्रतियों में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24/1/2018

(दिवाकर प्रसाद सिंह)
सरकार के संयुक्त सचिव।

340

श्री नारायण दास, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–29.01.2018 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–का0–10 का उत्तर प्रतिवेदन।

क्र. सं.	प्रश्न	उत्तर
01.	क्या यह बात सही है कि सरकार के प्रधान सचिव, झारखण्ड के पत्रांक–14/जा0नि0–03–13/2016 का0–6763, दिनांक–05.07.2016 के आदेश के आलोक में संथाल परगना प्रमण्डल में निवासरत लोहरा जनजाति समुदाय के सदस्यों (कमार, लोहार एवं मडैया) को "अनुसूचित जनजाति" का जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने का आदेश निर्गत किया गया था;	अस्वीकारात्मक।
02.	क्या यह बात सही है कि डॉ0 रामदयाल मुण्डा जनजातीय कल्याण शोध संस्थान, राँची से प्राप्त प्रतिवेदन में कमार, लोहार (लोहरा) एवं मडैया को उनके रहन–सहन, खान–पान, रीति–रिवाज, सामाजिक–आर्थिक जन–जीवन को आधार अनुसूचित जनजाति समुदाय के अनुरूप माना है;	अस्वीकारात्मक।
03.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार लोहरा जनजाति समुदाय के सदस्यों को अनुसूचित जनजाति का जाति प्रमाण–पत्र अविलम्ब निर्गत कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	बिहार पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के माध्यम से झारखण्ड को प्राप्त अनुसूचित जनजाति की सूची के क्रमांक 21 पर लोहरा दर्ज है। तद्नुसार लोहरा जाति के लोगों को अनुसूचित जनजाति का जाति प्रमाण पत्र अनुमान्य है।

झारखण्ड सरकार,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

ज्ञापांक–14/ज्ञा0वि0स0–07–07/2018 का0–688 /राँची, दिनांक 24/01/18

प्रतिलिपि– उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके पत्र, ज्ञाप संख्या–520/वि0स0, दिनांक–15.01.2018 के प्रसंग में 250 (दो सौ पचास) प्रतियों में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24/1/18

(दिवाकर प्रसाद सिंह)
सरकार के संयुक्त सचिव।

(341)

श्री अरूप चटर्जी, मा०स०वि०स० के द्वारा दिनांक–29.01.2018 को पूछे जानेवाले तारांकित प्रश्न सं०–ग–04 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि राज्य के पुलिस कर्मियों को केन्द्रीय सप्तम वेतन आयोग की अनुशंसा के आलोक में बिहार राज्य के पुलिस कर्मियों जैसा राशन मनी भत्ता, वर्दी भत्ता, वाहन भत्ता, चालक भत्ता, राईफल भत्ता विराम भत्ता नहीं दिया जाता है,	केन्द्रीय सप्तम वेतन आयोग के अनुशंसा के आलोक में झारखण्ड राज्य के सभी कर्मियों को 01 जनवरी, 2016 के प्रभाव से पुनरीक्षित वेतनमान का लाभ स्वीकृत किया गया है। केन्द्रीय सप्तम वेतन आयोग के अनुशंसा के आलोक में विभिन्न भत्तों का पुनरीक्षण राज्य सरकार के समक्ष विचाराधीन है।
2	यदि उपरोक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खण्ड–1 में वर्णित भत्तों के उक्त विसंगतियों को दूर करने की विचार रखती है, हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों?	कंडिका–01 में उत्तर स्पष्ट कर दी गयी है।

झारखण्ड सरकार,
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

ज्ञापांक–16/वि०स०–02/2018–524 / राँची, दिनांक–24/01/2018ई०।

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक–100, दिनांक–09.01.2018 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24/1/18

सरकार के संयुक्त सचिव।

झारखण्ड सरकार
मंत्रिमंडल (निर्वाचन) विभाग।

श्री अशोक कुमार, माननीय सदस्य झारखण्ड विधान सभा द्वारा दिनांक–29.01.2018 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न सं0–मनि–03 का उत्तर सामग्री

क्र.सं.	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि गोड्डा जिलान्तर्गत, मेहरमा प्रखण्ड के ग्राम–पिपरा निवासी अजय मंडल, पिता–भुनेश्वर मंडल एवं गनौरी मंडल, पिता–भिखारी मंडल जैसे करीब 35–40 दलित परिवार है, जिनके पूर्वजों के खतियान में उनकी जाति "मुसहर" अंकित है?	समाहरणालय, गोड्डा (जिला निर्वाचन शाखा) से प्राप्त पत्रांक–24, दिनांक–23.01.2018 द्वारा सूचित किया गया है कि अजय मंडल, पिता–भुनेश्वर मंडल एवं गनौरी मंडल, पिता–भिखारी मंडल, मेहरमा प्रखण्ड के ग्राम–पिपरा के खतियान में इनके पूर्वजों की जाति "मुसहर" अंकित है।
2	क्या यह बात सही है कि मतदाता पहचान पत्र, मतदाता सूची एवं आधार कार्ड जैसे महत्वपूर्ण पहचान पत्र में एक साजिस के तहत् उक्त वर्णित दलित परिवारों के सभी सदस्यों के नाम के साथ "मंडल" सरनेम अंकित कर दिया गया है?	अस्वीकारात्मक वस्तुस्थिति यह है कि मतदाता पहचान पत्र के लिए आवेदक द्वारा भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली द्वारा निर्धारित प्रपत्र–6 में आयु एवं निवास प्रमाण पत्र के साथ आवेदन समर्पित करने पर बी0एल0ओ0 स्तर से सत्यापन कराकर निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी द्वारा मतदाता सूची में नाम पंजीकृत करते हुए मतदाता पहचान पत्र निर्गत किया जाता है।
3	क्या यह बात सही है कि उक्त वर्णित गांव के सभी (मुसहर जाति) दलित परिवार अत्यंत गरीब, भूमिहीन, सीधे–साधे एवं कम पढ़े लिखे है, इसलिये उनके मूल जाति का अस्तित्व समाप्त करने का किसी के द्वारा साजिस किया जा रहा है?	अस्वीकारात्मक
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार गोड्डा जिलान्तर्गत मेहरमा प्रखंड के ग्राम–पीपरा में विशेष कैम्प लगाकर वहाँ निवास करने वाले सभी दलित परिवारों (मुसहर जाति) को निर्गत किये गए मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड एवं मतदाता सूचित में अंकित उनके नाम में सुधार कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	मतदाता सूची/मतदाता पहचान पत्र में नाम आदि संशोधन के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित प्रपत्र–8 की प्रति यथेष्ट संख्या में BLO के माध्यम से संबंधित मतदाताओं को उपलब्ध कराया जा रहा है। निर्धारित प्रपत्र–8 में आवेदन प्राप्त होने पर मतदाता सूची में आवश्यक संशोधन करते हुए मतदाता पहचान पत्र निर्गत कराने की कार्रवाई की जायेगी।

ज्ञापांक–02/नि0वि0स0प्र0–26–03/2018/...186 रॉंची/दिनांक–25/01/2018

प्रतिलिपि–उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा, को उनके ज्ञापांक–302, दिनांक–13.01.2018 के प्रसंग में (200 प्रतियों में) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

विश्वासभाजन

(महादेव धान)
संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी
–सह–संयुक्त सचिव।

343

श्री नागेन्द्र महतो, मा०स०वि०स० के द्वारा दिनांक–29.01.2018 को पूछे जानेवाले तारांकित प्रश्न सं०–ग–05 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि गिरिडीह जिलान्तर्गत कोयरीडिह पंचायत (सरिया प्रखण्डाधीन) के कोयरीडीह बाजार अति व्यस्तत्म व भीड़–भाड़ वाला बाजार है जहाँ अक्सर अपराधिक घटनायें घटते रहती है ;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि खण्ड–1 में वर्णित बाजार में पुलिस पिकेट स्थापित करने की मांग स्थानीय लोगों द्वारा होती रहती है ;	अस्वीकारात्मक।
3	यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खण्ड–1 में वर्णित बाजार में पुलिस पिकेट स्थापित करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों?	कोयरीडीह बाजार में पुलिस पिकेट स्थापित करने का प्रस्ताव पुलिस मुख्यालय से प्राप्त नहीं हुआ है। कोयरीडीह बाजार तथा उसके चारों ओर के क्षेत्रों का भौगोलिक सर्वेक्षण एवं सुरक्षा के दृष्टिकोण से सभी बिन्दुओं के सर्वेक्षण के पश्चात् प्रस्ताव प्राप्त होने पर यथोचित कार्रवाई की जायेगी।

झारखण्ड सरकार,
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

ज्ञापांक–16/वि०स०–03/2018–578/ राँची, दिनांक–27/01/2018ई०।

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक–213, दिनांक–11.01.2018 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27/1/18
सरकार के संयुक्त सचिव।

(344)

श्री राज सिन्हा, माननीय स0 वि0 स0 द्वारा दि0 29.01.2018 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न सं0–ग–06 का प्रश्नोत्तर –

	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि राज्य के सभी सरकारी भवनों, सिनेमाघरों और मार्केटिंग कॉम्पलेक्स तथा अन्य भवनों में आग के खतरों से बचाव के लिए नियमित अंतराल पर जाँच कराने का प्रावधान है;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि राँची समाहरणालय भवन, प्रोजेक्ट भवन, नेपाल हाउस और राँची स्थित अन्य सभी सरकारी भवनों में आग से बचाव हेतु प्रावधानों का अनुपालन निरंतर नहीं होता है;	आंशिक स्वीकारात्मक। इन सभी सरकारी भवनों को अग्नि–सुरक्षात्मक बिन्दुओं की जाँच कराकर अग्निशमन सेवा कार्यालय, झारखण्ड के पत्रांक– 185, दिनांक–25.04.2017 के द्वारा प्रतिवेदन सचिव, भवन निर्माण विभाग को उपलब्ध करायी गई है।
3	क्या यह बात सही है कि फायर डिपार्टमेंट के सहयोग से उक्त मामले में राजधानी स्थित सभी सरकारी भवनों की जाँच पिछले तीन सालों में नियमित तौर पर नहीं की गयी है;	अस्वीकारात्मक। राजधानी स्थित सभी महत्वपूर्ण सरकारी भवनों की जाँच अग्निशमन सेवा, मुख्यालय द्वारा गठित समिति के द्वारा माह मार्च 2017 में की गई है।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार इसकी जाँच कराने और समुचित कदम उठाने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नही तो क्यों ?	तदैव।

झारखण्ड सरकार,
गृह,कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

ज्ञापांक–05 / वि0स0–07–01 / 2018– 442 / राँची, दिनांक– 24 / 01 / 2018 ई0.

प्रतिलिपि– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके पत्रांक 1049, दि0 28.01.2017 के प्रसंग में / अवर सचिव, प्रभारी प्रशाखा–07, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24/1/18

(अनिल कुमार सिंह)
सरकार के संयुक्त सचिव।

345

श्री भानु प्रताप शाही, मा०स०वि०स० के द्वारा दिनांक–29.01.2018 को पूछे जानेवाले तारांकित प्रश्न सं०–ग–33 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि मा० मुख्यमंत्री द्वारा दिनांक–07.10.2016 एवं 14.11.2017 को राज्य के सभी पुलिस कर्मियों को 13 महीने का वेतनमान देने की घोषणा की गयी थी ;	आंशिक स्वीकारात्मक। माननीय मुख्यमंत्री झारखण्ड के द्वारा विधान सभा में वित्तीय वर्ष 2017–18 के बजट अभिभाषण में घोषणा की गई है कि "झारखण्ड पुलिस के अराजपत्रित कर्मियों में से सिपाहियों, हवलदारों, सहायक अवर निरीक्षकों, अवर निरीक्षकों एवं निरीक्षकों के द्वारा विधि–व्यवस्था, कानून व्यवस्था की निरतर ड्यूटी राजपत्रित अवकाश/त्यौहार के दिनों में भी अपने परिवार से दूर रहकर कठिन परिस्थितियों में भी कार्य करते है। अतः इन पुलिस कर्मियों के कठिन परिस्थितियों में कर्त्तव्य के निर्वहन को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने सैद्धान्तिक सहमति दी है कि उन्हें इसके एवज में वर्ष में एक माह के मूल वेतन के बराबर मानेदय भुगतान किया जाएगा"।
2	क्या यह बात सही है कि राज्य सरकार द्वारा घोषणा के बाद भी आज तक 13 महीने का वेतनमान लागू नहीं किया गया है, जिससे सरकार के प्रति सभी पुलिसकर्मियों के बीच असंतोष की भावना है,	अस्वीकारात्मक है। संबंधित पुलिस कर्मियों को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में एक माह के मूल वेतन के बराबर मानदेय का भुगतान की स्वीकृति की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री द्वारा की जा चुकी है, जिसकी कार्यान्वयन की प्रक्रिया पूर्ण की जा रही है।
3	यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार सभी पुलिसकर्मियों को 13 महीने का वेतनमान देने की ओर विचार रखती है, हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों?	कंडिका–2 में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।

झारखण्ड सरकार,
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

ज्ञापांक–15/वि०स०–06/2018–581/ राँची, दिनांक– 27/01/2018।

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक–926, दिनांक–21.01.2018 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27/1/18
सरकार के संयुक्त सचिव।

347

माननीय स०वि०स० श्री ढुलू महतो द्वारा दिनांक 29.01.2018 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–का–20 का उत्तर।

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि धनबाद जिला में सदर अनुमंडल के अलावा कोई अन्य अनुमंडल नहीं है;	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि बाघमारा (कतरास) अनुमंडल की मांग वर्षों से लंबित है;	अस्वीकारात्मक। धनबाद जिलान्तर्गत बाघमारा (कतरास) को अनुमण्डल का दर्जा देने के संबंध में प्रमंडलीय आयुक्त, उत्तरी छोटानागपुर प्रमंण्डल, हजारीबाग एवं उपायुक्त, धनबाद द्वारा अनुशंसित प्रस्ताव प्राप्त नहीं है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार बाघमारा (कतरास) अनुमंडल के गठन का विचार रखती है, हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों?	बाघमारा (कतरास) को अनुमण्डल का दर्जा देने संबंधी प्रस्ताव उपायुक्त, धनबाद एवं प्रमंडलीय आयुक्त, उत्तरी छोटानागपुर प्रमंण्डल, हजारीबाग की अनुशंसा सहित प्राप्त होने के पश्चात् समीक्षोपरान्त इसे प्रशासनिक इकाईयों के सृजन/पुनर्गठन हेतु उच्चस्तरीय समिति की बैठक में रखा जा सकेगा एवं उक्त समिति की अनुशंसा के आलोक में नये अनुमण्डल सृजन के बिन्दु पर निर्णय लिया जा सकेगा।

झारखण्ड सरकार

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

ज्ञापांक–15/ज्ञा०वि०स०–15–06/2018 का.– 761 /राँची, दिनांक– 25.1.18

प्रतिलिपि–उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक–839 दिनांक–19.01.2018 के प्रसंग में 250 प्रतियों में आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सुनीत 25/1/18

(सुनीत कुमार)
सरकार के अवर सचिव।

348

प्रो0 जय प्रकाश वर्मा, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक–29.01.2018 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या–ग–19 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि दिनांक 3 जुलाई 2017 को रजत कमल और आंशिक बनर्जी, आदित्यपुर–2, सराईकेला–खरसावाँ की हत्या साजिश के तहत उनके ही मित्रों सवर्णिम सिद्धार्थ, अभिनव शर्मा एवं अंकित कुमार ने कर मानिकुरी नदी–चाण्डिल, सरायकेला में फेंक दिया था;	03 जुलाई 2017 को रजत कमल के गुमशुदगी के संदर्भ में आवेदक कामता प्रसाद सिंह, पे0–स्व0 रामेश्वर मंडल, सा0–क्वा0 नं0–बी / 28, प्रोफेसर कॉलोनी, एन0आई0टी0 कैम्पस, थाना–आर0आई0टी0, जिला–सरायकेला–खरसावाँ का आवेदन प्राप्त हुआ था, तदनुसार आर0आई0टी0 थाना काण्ड सं0–50 / 17, दिनांक–04.07.2017, धारा–363 / 364 भा0द0वि0 दर्ज किया गया है।
2	क्या बात सही है कि इस संबंध में एफ0आई0आर0 संख्या–50 / 17, थाना–आर0आई0टी0, आदित्यपुर दिनांक–04.07.2017 दर्ज की गई, परन्तु हत्यारों को बचाने के नियत से धारा 302 नहीं लगाया गया;	आवेदक कामता प्रसाद सिंह, पे0–स्व0 रामेश्वर मंडल, सा0–क्वा0 नं0–बी / 28, प्रोफेसर कॉलोनी, एन0आई0टी0 कैम्पस, थाना–आर0आई0टी0, जिला–सरायकेला–खरसावाँ के लिखित आवदेन पर उक्त काण्ड धारा–363 / 364 भा0द0वि0 में दर्ज किया गया है।
3	क्या यह बात सही है कि मुख्यमंत्री जनसंवाद में दिनांक–28.10.2017 को शिकायत किया गया तब पुनः अनुसंधान के क्रम में धारा–302 जोड़ा गया;	दिनांक–27.07.2017 को माननीय न्यायालय प्रधान न्यायाधीश किशोर न्यास बोर्ड सरायकेला को निरूद्ध किये गये किशोरों के विरूद्ध इस काण्ड में धारा–302 / 201 भा0द0वि0 जोड़ने हेतु प्रतिवेदन समर्पित किया गया है।
4	क्या यह बात सही है कि पुलिस हत्यारों को बचाने के लिए अनुसंधान को अलग दिशा में मोड़ना चाहती है;	अस्वीकारात्मक। वरीय पदाधिकारी के निर्देशानुसार इस काण्ड का अनुसंधान किया जा रहा है।
5	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त काण्ड का उदभेदन स्पीड ट्रायल के माध्यम से करवाने की मंशा रखती है, हाँ, तो कब तक नहीं तो क्यों ?	उपरोक्त कडिकाओं में वर्णित स्थिति के आलोक में अपेक्षित नहीं।

झारखण्ड सरकार
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग

ज्ञापांक–08 / वि0स0(04)–04 / 2018 439 / राँची, दिनांक–24 /01 /2018 ई0।

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक–504, दिनांक–15.01.2018 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24.1.18

सरकार के संयुक्त सचिव

349

श्री अशोक कुमार, माननीय स०वि०स० के द्वारा दिनांक–29.01.2018 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–ग०–01 का उत्तर

प्रश्न	उत्तर
1. क्या यह बात सही है कि गोड्डा जिलान्तर्गत प्राकृतिक आपदा अतिवृष्टि से वित्तीय वर्ष 2015–16 में पीड़ित नरेश यादव, पिता–मोहन यादव, ग्राम–मान्जपुर, अंचल–महागामा एवं वित्तीय वर्ष 2016–17 में पीड़ित बीबी हफीजन, पति–सिराज, ग्राम–सिंघाड़ी, अंचल–मेहरमा को आज तक सरकार द्वारा मुआवजा नहीं दिया गया है ;	उपायुक्त, गोड्डा के प्रतिवेदनानुसार प्राकृतिक आपदा अतिवृष्टि से पीड़ित नरेश यादव, पिता–मोहन यादव, ग्राम–मान्जपुर, अंचल–महागामा के लिए अंचल अधिकारी, महागामा को तथा बीबी हफीजन, पति–सिराज, ग्राम–सिंघाड़ी, अंचल–मेहरमा के लिए अंचल अधिकारी, मेहरमा को मुआवजा राशि का भुगतान हेतु राशि का उपावंटन कर दिया गया है।
2. क्या यह बात सही है कि सरकारी प्रावधान के अनुसार प्राकृतिक आपदा में पीड़ित लाभुकों को एक सप्ताह के अंदर मुआवजा का भुगतान किया जाना था;	आंशिक स्वीकारात्मक ।
3. क्या यह बात सही है कि उक्त वर्णित पीड़ित लाभुकों के अतिरिक्त गोड्डा जिला अंतर्गत प्राकृतिक आपदा में पीड़ित सैकड़ों लाभुकों का मुआवजा भुगतान काफी दिनों से लंबित है ;	अस्वीकारात्मक ।
4. यदि उपर्युक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार एक निश्चित समय सीमा के अंदर गोड्डा जिलान्तर्गत प्राकृतिक आपदा से पीड़ित लाभुकों का मुआवजा भुगतान कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	उपर्युक्त कंडिकाओं में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

झारखण्ड सरकार
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग
(आपदा प्रबंधन प्रभाग)

ज्ञापांक–07 / गृ०का०आ०प्र०(विधायी)–02 / 2018– 75 / आ०प्र०, राँची, दिनांक– 24/01/18

प्रतिलिपि–उप सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप सं०–54, दिनांक–08.01.2018 के प्रसंग में / विशेष सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (संसदीय कार्य), झारखण्ड, राँची / माननीय मुख्य (विभागीय) मंत्री के आप्त सचिव, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड, राँची / प्रधान सचिव कोषांग, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड, राँची / श्री अनिल कुमार सिंह, संयुक्त सचिव, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड, राँची को ऑनलाईन प्रश्नोत्तर प्रणाली में उत्तर अपलोड करने निमित्त सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के विशेष सचिव

350

श्री योगेन्द्र प्रसाद, मा०स०वि०स० के द्वारा दिनांक–29.01.2018 को पूछे जानेवाले तारांकित प्रश्न सं०–ग–09 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि बोकारो जिला अन्तर्गत प्रखण्ड–गोमिया, ग्राम–तिसकोपी पोस्ट–चतरोचट्टी निवासी स्व० कालीचरण महतो की हत्या दिनांक–26.05.2017 को प्रतिबंधित नक्सल संगठन भा०क०पा० माओवादियों द्वारा कर दी गयी थी ;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी कार्यालय, बोकारो (जिला सामान्य शाखा) पत्रांक–1684/सा० द्वारा इसके आश्रित को सरकार द्वारा देय अनुग्रह–अनुदान एवं सरकारी नौकरी दिए जाने के संबंध में सभी कागजात संलग्न कर प्रधान सचिव, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड, राँची को भेजा गया है लेकिन अभी तक आश्रित को देय अनुग्रह–अनुदान एवं अनुकम्पा के आधार पर सरकारी नौकरी नहीं दी गई है ;	अस्वीकारात्मक। विभागीय पत्रांक–7364, दिनांक–30.12.2017 द्वारा स्व० कल्लीचरण महतो के आश्रित पुत्र सरयु महतो को अनुकम्पा के आधार पर तृतीय वर्ग के पद पर नियुक्ति की स्वीकृति तथा विभागीय स्वीकृत्यादेश सं०–511, दिनांक–17.01.2018 द्वारा मृतक की आश्रिता पत्नी श्रीमती दुरवा देवी को ₹ 1,00,000/–(एक लाख) रूपये मात्र अनुग्रह–अनुदान भुगतान की स्वीकृति दी जा चुकी है।
3	यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार आश्रित को देय अनुग्रह–अनुदान एवं सरकारी नौकरी देने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों?	कंडिका–2 में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।

झारखण्ड सरकार,
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

ज्ञापांक–18/वि०स०(02)–01/2016–525– राँची, दिनांक–24/01/2018।

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक–317, दिनांक–13.01.2018 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24/1/18

सरकार के संयुक्त सचिव।

351

श्री साईमन मराण्डी, मा०स०वि०स० के द्वारा दिनांक–29.01.2018 को पूछे जानेवाले तारांकित प्रश्न सं०–ग–18 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि पाकुड़ जिला के मण्डल कारा में क्षमता से अधिक कैदियों को रखा जा रहा है, जिससे कैदियों को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता है;	अस्वीकारात्मक। मंडल कारा, पाकुड़ में कुल बंदियों के रखने की क्षमता (पुरूष–200, महिला–25) 225 है। वर्त्तमान में कारा में (255 पुरूष बंदी 12 महिला) कुल–267 बंदी संसीमित हैं। पुरूष बंदियों के लिए 08 वार्ड एवं महिला बंदियों के लिए 01 वार्ड है। अतः कारा में बंदियों के आवासन में कठिनाई नहीं है।
2	क्या यह बात सही है कि मण्डल कारा के बगल में ही नया मण्डल कारा भवन वर्षों से बन कर तैयार है,	अस्वीकारात्मक। मंडल कारा, पाकुड़ परिसर में 04 नये बंदी वार्ड (कुल 100 बंदी क्षमता) का निर्माण किया गया जिसे वर्ष 2015 में संचालित कर बंदियों को संसीमित किया जा रहा है।
3	यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त नये मण्डल कारा में कैदियों को रखने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों?	कंडिका–2 में स्थिति स्पष्ट की गई है।

झारखण्ड सरकार,
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

ज्ञापांक–11/वि०स०–02/2018-523 / राँची, दिनांक–24/01/2018 ई०।

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक–503, दिनांक–15.01.2018 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24/1/18
सरकार के संयुक्त सचिव।

352

प्रो0 जय प्रकाश वर्मा, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–29.01.2018 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–का0–14 का उत्तर प्रतिवेदन।

क्र. सं.	प्रश्न	उत्तर
01.	क्या यह बात सही है कि दांगी कोयरी जाति का उप शाखा है।;	अस्वीकारात्मक।
02.	क्या यह बात सही है, कि बिहार सरकार ने 1995 में दांगी को एनेक्सर–1 में शामिल किया था। दांगी के खातियान में जाति के स्थान पर कोयरी दर्ज है जिसके कारण दांगी उप नाम वालों का एनेक्सर–1 में जाति प्रमाण पत्र नहीं बन पाता है।;	अंशतः स्वीकारात्मक।
03.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार कोयरी को एनेक्सर–1 में शामिल करने की मंशा रखती है, यदि हाँ, तो कब तक, नहीं तो, क्यों?	यद्यपि कि झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम, 2001 की धारा 14(अ) के अधीन पिछड़े वर्गों की अनुसूची–I एवं अनुसूची–II में परिवर्द्धन की अनुमति राज्य सरकार को प्राप्त है, किन्तु पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग अधिनियम 2002 की धारा 9(1) के अधीन ऐसा परिवर्द्धन के लिए पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग की सलाह अपेक्षित है। ऐसी सलाह पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग से प्राप्त नहीं है।

झारखण्ड सरकार,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

ज्ञापांक–14 / ज्ञा0वि0स0–07–05 / 2018 का0– 686 / रांची, दिनांक 24/01/18

प्रतिलिपि– उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा, रांची को उनके पत्र, ज्ञाप संख्या–519 / वि0स0, दिनांक–15.01.2018 के प्रसंग में 250 (दो सौ पचास) प्रतियों में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(दिवाकर प्रसाद सिंह)
सरकार के संयुक्त सचिव।

माननीय श्रीमती गंगोत्री कुजूर, स0 वि0 स0 द्वारा दिनांक–29.01.2018 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं0–का0–02 का उत्तर प्रतिवेदन।

क्र0सं0	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि स्कीपा, राँची (श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान) के द्वारा सूचनाधिकार कानून के संबंध में प्रचार–प्रसार, प्रशिक्षण कार्यक्रम नियमित तौर पर चलाए जाते है;	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि सूचनाधिकार कानून के बारे में जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से आर0टी0आई0 ऑनलाइन सर्टिफिकेट कार्यक्रम संचालन के लिए केन्द्र से राशि आवंटित की गयी है;	स्वीकारात्मक।
3.	क्या यह बात सही है कि उक्त कार्यक्रम के संचालन के लिए की गयी विभागीय लापरवाही और टालमटोल रवैये के कारण केन्द्र से मिली राशि का सदुपयोग नहीं हो सका है;	आर0टी0आई0 ऑनलाईन सर्टिफिकेट कोर्स का संचालन का प्रस्ताव स्वयंसेवी संस्थान मंथन एवं स्कीपा के द्वारा संयुक्त रूप से बनाया गया था, इसमें मंथन के सहयोग से संस्थान द्वारा उक्त कार्यक्रम को संचालित करना था, लेकिन मंथन द्वारा इन कार्यक्रमों में रूचि नहीं लिए जाने के कारण राशि खर्च नहीं हो पायी। दिनांक–30.10.2017 को संयुक्त सचिव, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार द्वारा विडियो कॉनफेरेंसिंग के द्वारा की गई समीक्षा के दौरान निदेश दिया गया कि वर्ष 2015–16 में जो राशि खर्च नहीं हो पायी है उसे लौटा दिया जाय। प्राप्त निदेश के आलोक में राशि वापस कर दी गई।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार आमजनों के बीच उक्त कानून की जानकारी हेतु अन्य कार्यक्रमों का नियमित रूप से संचालित कराने का विचार रखती है, हाँ, कबतक, नहीं तो क्यों?	राज्य सरकार एवं भारत सरकार के सहयोग से संस्थान आमजनों के बीच उक्त कानून की जानकारी हेतु समय–समय पर प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करती है। वर्ष– 2017–18 के लिए सूचना का अधिकार के प्रशिक्षण का प्रस्ताव कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार को भेजा गया है।

झारखण्ड सरकार,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

ज्ञापांक–11 / वि0स0–06–02 / 2018 का0 751 / राँची दिनांक– 25 जनवरी, 2018

प्रतिलिपि:– उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप सं0–216 दिनांक–11.01.2018 के प्रसंग में 250 प्रतियों में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. श्री चन्द्रभूषण प्रसाद, नोडल पदाधिकारी–सह–उप सचिव, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

25/01/18

(ओम प्रकाश साह)
सरकार के उप सचिव।

श्री शशि भूषण सामाड़, मा०स०वि०स० के द्वारा दिनांक–29.01.2018 को पूछे जानेवाले तारांकित प्रश्न सं०–ग–15 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि पश्चिमी सिंहभूम जिला अंतर्गत गुवा थाना क्षेत्र में 1980 में गोलीकांड (कांड संख्या–09/1980) हुआ था, जिसमें बहुत लोगों की गिरफ्तारी हुई थी ;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि गिरफ्तार लोगों को हाजत अवधि का प्रमाण पत्र दिया जाना है,	स्वीकारात्मक। संबंधित दस्तावेज उपलब्ध होने पर पंजी से जांचोपरांत हाजत अवधि का प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता है।
3	यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार इन्हें हाजत अवधि का प्रमाण पत्र देने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों?	उक्त काण्ड 37 वर्ष पुराना है एवं इससे संबंधित दस्तावेज मंडल कारा, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा के कार्यालय में उपलब्ध नहीं है, जिसके कारण प्रमाण पत्र निर्गत करना संभव नहीं है।

झारखण्ड सरकार,
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

ज्ञापांक–11/वि०स०–03/2018– 583 / राँची, दिनांक–27/01/2018।

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक–507, दिनांक–15.01.2018 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27/1/18
सरकार के संयुक्त सचिव।

355

माननीय स०वि०स० श्री साधुचरण महतो द्वारा दिनांक 29.01.2018 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–का–12 का उत्तर।

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड प्रदेश में मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर मनाये जाने वाला टुसू पर्व आदिवासी एवं मूल वासियों का सबसे बड़ा व महत्वपूर्ण पर्व है, यह पर्व ज्यादातर नदी नाला व तालाब के किनारे मनाया जाता है परन्तु सरकार की ओर से अन्य पर्व/त्यौहार के तर्ज पर टुसू पर्व के लिए नदी, नाला व तालाब के किनारे साफ–सफाई एवं अन्य सुविधाओं का समुचित व्यवस्था नहीं होती है एवं अन्य पर्व त्यौहारों की भांति इस पर्व में सरकारी छुट्टी भी पर्याप्त मात्रा में नहीं दी जाती है, जिससे टुसू पर्व को अपेक्षाकृत बढ़ावा नहीं मिल पा रही है और टुसू पर्व विलुप्त होती जा रही है;	अस्वीकारात्मक। टुसू पर्व झारखण्ड राज्य के कुड़मी, मुंडा समेत छोटानागपुर एवं मानभूम इलाके के कृषक समुदाय द्वारा मनाया जानेवाला एक महत्वपूर्ण त्योहार है, जो मकर संक्रांति के अवसर पर मनाया जाता है। विदित हो कि मकर संक्रांति एवं सोहराय पर्व के अवसर पर राज्य सरकार द्वारा कार्यपालक आदेश के तहत अवकाश घोषित किया जाता है। नदी, नाला एवं तालाबों की साफ–सफाई के लिए स्थानीय निकायों में लगातार एवं पर्व के अवसर पर विशेष साफ–सफाई की व्यवस्था की जाती है।
2.	यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार जनहित में मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर मनाये जाने वाला टुसू पर्व के लिए समुचित सुविधा उपलब्ध कराते हुए कम से कम इस अवसर पर तीन दिनों की सरकारी अवकाश देने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	उपर्युक्त कंडिका–1 में स्थिति स्पष्ट की गयी है।

झारखण्ड सरकार

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

ज्ञापांक–15/ज्ञा०वि०स०–15–02/2018 का०– 762 /राँची, दिनांक– 25.1.18

प्रतिलिपि–उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक–513, दिनांक 15.01.2018 के प्रसंग में 250 प्रतियों में आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

25/1/18

(सुनीत कुमार)
सरकार के अवर सचिव।

356

श्री अमित कुमार मण्डल, मा०स०वि०स० के द्वारा दिनांक–29.01.2018 को पूछे जानेवाले तारांकित प्रश्न सं०–ग–08 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि गोड्डा जिला अन्तर्गत सभी थानों को श्रेणीबद्ध के आधार पर पुलिस पदाधिकारी सहित आरक्षी की संख्या बल निर्धारित है ;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि गोड्डा जिला की आबादी आठ लाख है तथा सरकार द्वारा आबादी के आधार पर पुलिस बलों का पद सृजित करती है ;	स्वीकारात्मक।
3	क्या यह बात सही है कि गोड्डा जिला में महज 370 पुलिस बल कार्यरत है जबकि आबादी के अनुसार चार हजार पुलिस बल की आवश्यकता है ;	अस्वीकारात्मक। गोड्डा जिला में वर्त्तमान में 480 पुलिस बल कार्यरत है।
4	क्या यह बात सही है कि गोड्डा जिला के स्थापना काल से गोड्डा पुलिस बल अपना पुलिस लाईन भवन हेतु जमीन के लिए राशि स्वीकृत कर दी गयी है ;	आंशिक स्वीकारात्मक। वर्ष 2010 में पुलिस लाईन हेतु उपायुक्त द्वारा जमीन उपलब्ध करायी गयी थी, लेकिन स्थानीय लोगों के विरोध के कारण जमीन उपलब्ध नही हो सका।
5	यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार गोड्डा जिला में आबादी के अनुरूप पुलिस बल उपलब्ध कराने तथा पुलिस लाईन भवन निर्माण के लिए जमीन उपलब्ध कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों?	झारखण्ड पुलिस के अंतर्गत विभिन्न रिक्त पदों पर नियुक्ति की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। भूमि उपलब्ध कराने हेतु पुनः प्रयास किया जा रहा है। जमीन उपलब्ध होते ही पुलिस लाईन की निर्माण योजना पर आवश्यक कार्रवाई की जायेगा।

झारखण्ड सरकार,
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

ज्ञापांक–15/वि०स०–03/2018–584/ राँची, दिनांक–27/01/2018ई०।

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक–318, दिनांक–13.01.2018 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27.1.18

सरकार के संयुक्त सचिव।

357

श्री निर्मला देवी, मा०स०वि०स० के द्वारा दिनांक–29.01.2018 को पूछे जानेवाले तारांकित प्रश्न सं०–ग–20 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि हजारीबाग जिला में बड़कागाँव गोलीकाण्ड 01 अक्टूबर, 2016 में मृत मो० मेहताब के परिजन मोजिम अंसारी द्वारा परिवाद दायर 1460/16 कर बड़कागाँव थाना काण्ड संख्या–247/16, दिनांक–12.11.2016 को दर्ज किया गया है;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि लगभग एक वर्ष बीत जाने के बाद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है,	हजारीबाग जिला अंतर्गत दिनांक–01.10.2016 में घटित घटना को लेकर बड़कागाँव थाना काण्ड संख्या–228/16, दिनांक–02.10.2016, धारा 147/148/149/314/342/323/324/325/326/307/332/333/353/188/427/109/224/337/338/120(बी०) भा०द०वि० एवं 27 आर्म्स एक्ट के तहत दर्ज किया गया है। उसके बाद वादी जो मृतक के पिता है, कोर्ट में जाकर परिवाद पत्र दायर किये थे, जिसके आधार पर बड़कागाँव थाना काण्ड संख्या–247/16, दिनांक–12.11.2016, 302/34 भा०द०वि० दर्ज किया गया है। इस काण्ड के अनुसंधान एवं पर्यवेक्षण के क्रम में पाया गया कि घटना में मारे गये मो० मेहताब के पिता मो० मोजिम अंसारी के द्वारा कोर्ट में जा कर परिवाद पत्र दायर किया गया है, जो पुलिस एवं प्रशासन का मनोबल गिराने के उद्देश्य से किया गया प्रतीत होता है। वादी का मृतक पुत्र भीड़ का हिस्सा बनकर पुलिस पार्टी पर जानलेवा हमला किया था। पुलिस द्वारा आत्मरक्षार्थ हवाई फायरिंग की गई थी। उपद्रवियों द्वारा अवैध आग्नेयास्त्र से किये गये फायरिंग से वादी के पुत्र मो० मेहताब एवं अन्य के जख्मी होने की बात अनुसंधान में पायी गई है। तद्नुसार अभियुक्तिकरण के बिन्दु पर निर्णय लिये जाने के पूर्व कुछ बिन्दुओं पर जांच किया जाना आवश्यक प्रतीत होता है।
3	यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार बड़कागाँव थाना में दर्ज 247/16 में कार्रवाई कर दोषी को जेल भेजना सुनिश्चित करना चाहेगी, हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों?	बड़कागाँव थाना काण्ड संख्या–228/16 का प्रतिलोम काण्ड बड़कागाँव थाना काण्ड सं०–247/16 है, जो मृतक के पिता द्वारा पुलिस एवं प्रशासन के लोगों का मनोबल गिराने के नियत से दर्ज किया गया प्रतीत होता है। उक्त काण्ड अनुसंधान अंतर्गत है।

झारखण्ड सरकार,
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

ज्ञापांक–08/वि०स० (04)–05/2018–477/ राँची, दिनांक– 27/01/2018ई०।

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक–501, दिनांक–15.01.2018 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27/1/18
सरकार के संयुक्त सचिव।

पत्रिका का पुनः प्रकाशन ।

उत्तर सूचित

*338. श्रीमती गंगोत्री कुजूर--क्या मंत्री, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि अविभाजित बिहार के समय आदिवासी एवं होड़ संवाद नामक पत्रिका का प्रकाशन किया जाता था;

(2) क्या यह बात सही है कि वर्तमान में होड़ संवाद पत्रिका का प्रकाशन बंद पड़ा है;

(3) क्या यह बात सही है कि उक्त पत्रिकाओं के संरक्षण और रख-रखाव की दिशा में समुचित प्रयास नहीं किए जा रहे है;

(4) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त पत्रिका का प्रकाशन पुनः प्रारम्भ कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--(1) स्वीकारात्मक

(2) स्वीकारात्मक है, अंतिम अंक माह फरवरी, 2017 में प्रकाशित हुआ था ।

(3) उक्त पत्रिका के संरक्षण और रख-रखाव की दिशा में प्रयास किया जा रहा है ।

(4) आंशिक रूप से स्वीकारात्मक । माह फरवरी के अन्त तक एक संयुक्तांक/विशेषांक का प्रकाशन प्रक्रियाधीन है ।

श्री जय प्रकाश भाई पटेल, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक 29.01.2018 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या यो.वि.–04 का उत्तर।

तारांकित प्रश्न	उत्तर
(1) क्या यह बात सही है कि मुख्यमंत्री, मंत्री, सचेतक एवं सभापतियों के Co-terminus (सावधिक) आधार पर वाह्य सेवा के नियुक्त कर्मीगण को छठे वेतनमान का वेतन लाभ दिया जा रहा है?	आंशिक रूप से स्वीकारात्मक। मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (समन्वय) द्वारा स्वीकृत किया गया है।
(2) क्या यह बात सही है कि उक्त कर्मियों को अभी तक 7वीं वेतन आयोग के अनुरूप वेतनादि नहीं मिल रहा है?	स्वीकारात्मक।
(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार दिनांक 01.01.2016 के प्रभाव से Co-terminus (सावधिक) वाह्य कर्मियों को 7वाँ वेतनमान का लाभ देने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	राज्य सरकार के समक्ष विचाराधीन है। इस प्रस्ताव पर अन्तिम निर्णय शीघ्र ही लिया जायेगा।

झारखण्ड सरकार
योजना–सह–वित्त विभाग (वित्त प्रभाग)

ज्ञापांक : 10/वि॰स॰ (4)–13/2018..17/वि॰ पे॰.. रॉची/दिनांक: 28.01.2018

प्रतिलिपि : उप सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, रॉची के ज्ञापांक 999/वि०स०, दिनांक 23.01.2018 के आलोक में उत्तर की 200 प्रतियाँ अग्रेतर कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28/01/2018
(अखिलेश कुमार वाजपेयी)
उप सचिव
योजना–सह–वित्त विभाग, झारखण्ड,
रॉची।

(360)

श्री ग्लेन जोसेफ गॉल्स्टन, मा०स०वि०स०– के द्वारा दिनांक–29.01.2018 को पूछे जानेवाले तारांकित प्रश्न सं०–ग–13 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्रं०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि लातेहार जिला के चन्दवा प्रखण्ड अंतर्गत निंदरा ग्राम राँची जिला के सीमा पर स्थित है, जो चन्दवा थाना से 20 कि०मी० दूरी पर स्थित है ;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि निंदरा ग्राम चन्दवा थाना से काफी दूर होने के कारण उग्रवादी गतिविधियों पर अंकुश लगाना मुश्किल हो जाता है,	अस्वीकारात्मक।
3	क्या यह बात सही है कि निंदरा ग्राम के आस–पास जंगल में उग्रवादी कहीं भी घटना को अंजाम देकर उसी क्षेत्र में छुपे रहते हैं,	अस्वीकारात्मक।
4	यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या राज्य सरकार इसी वित्तीय वर्ष में निन्दा ग्राम में पुलिस पिकेट स्थापित करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों?	निंदरा ग्राम चन्दवा थाना से 20 कि०मी० की दूरी पर स्थित है, परन्तु मैक्लुस्कीगंज थाना से इसकी दूरी करीब 06–07 कि०मी० होने के कारण यहाँ से इस क्षेत्र के उग्रवादी गतिविधियों पर अंकुश लगाया जाता है। इसके अतिरिक्त उग्रवादी गतिविधियों की सूचना प्राप्त होने पर लातेहार जिला पुलिस एवं राँची जिला पुलिस द्वारा निरंतर संयुक्त अभियान चलाकर उग्रवादी गतिविधियों पर अंकुश लगाया जाता है। सम्प्रति निंदरा ग्राम में पुलिस पिकेट स्थापित करने की आवश्यकता नहीं है।

झारखण्ड सरकार,
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

ज्ञापांक–16 / वि०स०–04 / 2018 526 / राँची, दिनांक–24 / 01 / 2018ई०।

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक–505, दिनांक–15.01.2018 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24/1/18

सरकार के संयुक्त सचिव।

361

श्री राम कुमार पाहन, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–29.01.2018 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–का0–09 का उत्तर प्रतिवेदनः–

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है राँची जिलान्तर्गत 1960–62 ई0 में स्थापित एच0ई0सी0 से विस्थापित हुए नगड़ी प्रखण्ड के पंचायत चेटे, थाना सं0–250, ग्राम– नया नचियातु के ग्रामीणों को जाति एवं आवासीय प्रमाण पत्र निर्गत नहीं किया जाता है;	अस्वीकारात्मक। 1960–62 ई0 में एच0ई0सी0 से विस्थापित हुई पंचायत चेटे, थाना सं0–250, ग्राम– नया नचियातु के ग्रामीणों को जाति, आवासीय प्रमाण पत्र निर्गत किया जा रहा है।
2.	क्या यह बात सही है कि उक्त प्रखण्ड स्थित ग्राम के लोगों एवं छात्र–छात्राओं को जाति, आवासीय प्रमाण पत्र नहीं मिलने के कारण छात्र–छात्राओं को छात्रवृत्ति आदि कार्यो से वंचित होना पड़ता है;	अस्वीकारात्मक। छात्र–छात्राओं को छात्रवृति हेतु जाति, आवासीय प्रमाण पत्र निर्गत किया जा रहा है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार उक्त प्रखण्डान्तर्गत ग्राम के लोगों को जाति एवं आवासीय प्रमाण पत्र निर्गत करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	उपर्युक्त खंड (1) एवं (2) के आलोक में प्रश्न ही नहीं उठता है।

झारखण्ड सरकार,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

ज्ञापांक–16/वि0स0प्र0–08–01/2018 का0 753/राँची, दिनांक– 25 जनवरी, 2018

प्रतिलिपिः– उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप सं0–518 दिनांक–15.01.2018 के प्रसंग में 250 प्रतियों में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. श्री चन्द्रभूषण प्रसाद, नोडल पदाधिकारी–सह–उप सचिव, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

25.1.18

(अजय कुमार झा)
सरकार के अवर सचिव।

362

श्री राधाकृष्ण किशोर, मा०स०वि०स० के द्वारा दिनांक–29.01.2018 को पूछे जानेवाले तारांकित प्रश्न सं०–ग–02 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि वर्ष–2011 से 25 दिसम्बर, 2017 तक राँची में हत्या, डकैती, लूट, दंगा, अपहरण और नक्सल के शीर्ष में 5018 संज्ञेय अपराध की घटनाएँ घटित हुई है;	स्वीकारात्मक।
2	यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार राँची जिले में अपराध नियंत्रण हेतु पुलिस आयुक्त का पद सृजन करना चाहती है, हाँ, तो कबतक, नहीं तो क्यों ?	अस्वीकारात्मक। राँची में पुलिस आयुक्त व्यवस्था लागू करने से संबंधित सभी प्रासंगिक पहलूओं पर विचार किया गया तथा विचारोपरांत राज्य में पुलिस आयुक्त व्यवस्था लागू करने के बजाय वर्त्तमान प्रशासनिक तंत्र (सामान्य एवं पुलिस प्रशासन) को ज्यादा उत्तरदायी बनाने की आवश्यकता सरकार द्वारा अनुभव की गई तथा इस परिपेक्ष्य में पुलिस आयुक्त की व्यवस्था को उपयुक्त नहीं पाया गया है।

झारखण्ड सरकार,
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

ज्ञापांक–13 / वि०स०–101 / 2018-522 / राँची, दिनांक–24 /01 /2018 ई०।

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक–55, दिनांक–08.01.2018 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24/1/18

सरकार के संयुक्त सचिव।

363

श्रीमती गीता कोड़ा, माननीया स०वि०स० के द्वारा दिनांक–29.01.2018 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–ग०–12 का उत्तर

प्रश्न	उत्तर
1. क्या यह बात सही है कि पश्चिमी सिंहभूम जिलान्तर्गत नोवामुण्डी प्रखंडाधीन नोवामुण्डी रेलवे क्रासिंग के समीप हड़िया गोदाम में रहने वाले अरूण करूवा की पत्नी पार्वती करूवा की मौत दिनांक–05.01.2018 को अत्यधिक ठंड लगने से हो गई ;	उपायुक्त, पश्चिमी सिंहभूम के प्रतिवेदनानुसार पार्वती करूवा की मृत्यु के पश्चात पोस्टमॉर्टम नहीं होने के कारण यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि इनकी मृत्यु किस कारण से हुई है।
2. क्या यह बात सही है कि खण्ड–1 में वर्णित पार्वती करूवा की मौत समय पर कंबल वितरण नहीं होने के कारण हुई है, जबकि सरकार भूख तथा ठंड से किसी की मौत न हो को बड़ी मिशन के तहत ले रखी है ;	पार्वती करूवा को ससमय राशन एवं कंबल का वितरण किया गया था।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार ठंड जैसे आपदा से हुई पार्वती करूवा की मौत की जाँचोपरांत दोषियों के विरूद्ध कार्रवाई करने तथा मृतक के परिजनों को मुआवजा देने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	उपर्युक्त कंडिकाओं में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

झारखण्ड सरकार
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग
(आपदा प्रबंधन प्रभाग)

ज्ञापांक–07 / गृ०का०आ०प्र०(विधायी)–06 / 2018– 74 /आ०प्र०, राँची, दिनांक– 24/01/18

प्रतिलिपि–उप सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप सं०–315, दिनांक–13.01.2018 के प्रसंग में / विशेष सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (संसदीय कार्य), झारखण्ड, राँची / माननीय मुख्य (विभागीय) मंत्री के आप्त सचिव, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड, राँची / प्रधान सचिव कोषांग, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड, राँची / श्री अनिल कुमार सिंह, संयुक्त सचिव, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड, राँची को ऑनलाईन प्रश्नोत्तर प्रणाली में उत्तर अपलोड करने निमित्त सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के विशेष सचिव